इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई 2026, आषाढ़ 26, शक 1948

भाग ४

विषय–सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारुप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारुप नियम

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2026

यूडीएच/3/0031/2026/18-5:- मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम, 2025 (क्रमांक 21 सन् 2025) की धारा 58 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

नियम

अध्याय - एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास नियम, 2026 है।

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.-

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम, 2025 (क्र. 21 सन् 2025) ;

(ख) ''प्राधिकरण'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 8 के अधीन गठित महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण;

(ग) ''प्ररूप'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(घ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ड.) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(च) ''नगरपालिका'' से अभिप्रेत है, बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 7 के अधीन गठित नगरपालिक निगम तथा छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 के अधीन गठित नगरपालिका परिषद् अथवा नगर परिषद्;

(छ) ''पंचायत'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 8 के अधीन गठित कोई ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत;

(ज) ''धारा'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;

(झ) ''राज्य'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य।

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए है, किन्तु परिभाषित नहीं किए गये हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित है के क्रमशः वहीं अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है।

3. नियमों की प्रयोज्यता.- ये नियम, धारा 3 के अधीन घोषित महानगर क्षेत्रों पर लागू होंगे।

अध्याय-दो
महानगर नियोजन समिति

4. महानगर नियोजन समिति का गठन.-

(1) सरकार, अधिनियम की धारा 4 में यथा उल्लिखित प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए एक महानगर नियोजन समिति का गठन करेगी।

(2) उपरोक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार गठित समिति, निम्नलिखित पैंतालीस सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(क) पंद्रह पदेन सदस्य,-

(एक) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि अध्यक्ष होंगे;

(दो) नगरीय विकास एवं आवास विभाग का मंत्री, जो कि उपाध्यक्ष होगा;

(तीन) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री, जो कि उपाध्यक्ष होगा;

(चार) राजस्व विभाग का मंत्री, जो कि उपाध्यक्ष होगा;

(पांच) मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन;

(छह) भारसाधक सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग;

(सात) भारसाधक सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग;

(आठ) भारसाधक सचिव, परिवहन विभाग;

(नौ) भारसाधक सचिव, लोक निर्माण विभाग;

(दस) भारसाधक सचिव, पर्यावरण विभाग;

(ग्यारह) भारसाधक सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग;

(बारह) भारसाधक सचिव, पर्यटन विभाग;

(तेरह) भारसाधक सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग;

(चौदह) आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश;

(पंद्रह) महानगर आयुक्त - सदस्य-सचिव;

(ख) समिति के 30 सदस्य, महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा उस महानगर क्षेत्र में की नगरपालिकाओं तथा पंचायतों के बीच में से जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित किए जाएंगे;

(ग) विशेष आमंत्रिती— वे, अधिनियम की धारा 6 के उपबंधों के अनुसार होंगे;

(घ) सह-नामित (को-आप्ट) सदस्य-राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित सदस्य नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, अर्थात्ः-

(एक) भारसाधक सचिव, राजस्व विभाग;

(दो) भारसाधक सचिव, ऊर्जा विभाग;

(तीन) आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास;

(चार) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड;

(पांच) रेल मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि;

(छह) पूर्णतः अथवा अंशतः महानगर क्षेत्र के भीतर आने वाले राजस्व संभाग (संभागों) का आयुक्त (के आयुक्त);

(सात) पूर्णतः अथवा अंशतः महानगर क्षेत्र के भीतर आने वाले जिले (जिलों) का कलक्टर (के कलक्टर);

(आठ) पूर्णतः अथवा अंशतः महानगर क्षेत्र के भीतर अधिकारिता रखने वाला (वाले) नगर तथा ग्राम निवेश का संयुक्त संचालक (के संयुक्त संचालक);

(नौ) तीन गैर-सरकारी सदस्य, जो सरकार की राय में क्षेत्रीय नियोजन/शहरी प्रबंधन/परिवहन/अधोसंरचना, नियोजन एवं विकास से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान एवं विशेषज्ञता रखते हों।

(3) सरकार, अधिसूचना द्वारा महानगर नियोजन समिति के किसी सदस्य को हटा सकेगी या प्रतिस्थापित कर सकेगीः

परंतु अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन उल्लिखित समिति के दो-तिहाई निर्वाचित सदस्यों का अनुपात बनाए रखा जाएगा।

5. **पदावधि तथा आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.-**

(1) नियम 4 के उप-नियम (2) के खण्ड (घ) के उप-खंड (नौ) के अधीन नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी, जैसी कि महानगर नियोजन समिति के लिए उन्हें नामनिर्देशित करते समय राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) निर्वाचित सदस्यों की पदावधि संबंधित स्थानीय प्राधिकरण में उनके कार्यकाल के साथ समाप्त होने वाली होगी।

(3) कोई नामनिर्देशित अथवा निर्वाचित सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित अपने लिखित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। त्यागपत्र, सरकार द्वारा उसे स्वीकार किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

(4) ऐसे त्यागपत्र या किसी अन्य कारण, जैसे कि किसी सदस्य की मृत्यु अथवा दिव्यांगता, से उद्भूत कोई आकस्मिक रिक्ति, यथास्थिति, नामनिर्देशन या निर्वाचन द्वारा यथासंभव शीघ्र भरी जाएगीः

परंतु इस प्रकार नामनिर्देशित या निर्वाचित सदस्य, उस पदावधि के शेष भाग के लिए पद धारण करेगा, जिसके कि लिए, वह सदस्य, जिसके कि स्थान पर वह नामनिर्देशित या निर्वाचित किया गया है, पद धारण करता।

6. **सदस्यों का हटाया जाना.-** राज्य सरकार, किसी सदस्य को महानगर नियोजन समिति के पद से हटा सकेगी,-

(क) यदि उसका महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं अथवा पंचायतों अथवा नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण अथवा महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा

तैयार योजनाओं अथवा योजनाओं में सम्मिलित कार्यो या योजनाओं में कोई आर्थिक हित हो; या

(ख) यदि वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अधीन दण्डनीय, नैतिक अधमता अंतर्वलित करने वाले किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो; या

(ग) यदि वह निर्वाचन याचिका के विचारण के दौरान भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया हो; या

(घ) यदि वह अस्वस्थचित्त का हो तथा सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; या

(ड.) यदि वह सक्षम न्यायालय द्वारा शोधक्षम अथवा दिवालिया घोषित किया गया है और उससे दोषमुक्त नहीं किया गया हो।

7. **समिति के सम्मिलन.-**

(1) समिति, आवश्यकतानुसार और अधिमानतः छह माह में एक बार और ऐसे समय तथा स्थानों पर सम्मिलन करेगी, जैसा कि अध्यक्ष इस निमित्त अवधारित करे तथा ऐसे सम्मिलनों में अपने कारबार के संचालन के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करेगी।

(2) यदि समिति का अध्यक्ष, किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ है, तो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित कोई उपाध्यक्ष उस सम्मिलन में अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(3) समिति, अपने सम्मिलनों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी।

(4) गैर-सरकारी विशेषज्ञ सदस्य, सम्मिलन में भाग लेने के लिए प्रति सम्मिलन रूपए दस हजार भत्ता तथा राज्य सरकार के सचिव की पदश्रेणी के लिए यथानिर्धारित यात्रा भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

8. **गणपूर्ति.-** किसी सम्मिलन में कारबार के संचालन के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई होगीः

परंतु यदि गणपूर्ति नहीं होती है, तो अध्यक्ष ऐसे दिन तथा समय पर पुनः एकत्रित होने के लिए सम्मिलन को स्थगित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

9. **समिति का सदस्य-सचिव तथा उसके कृत्य.-** समिति का सदस्य-सचिव, समिति के अभिलेखों का संधारण करने, विचार-विमर्श के लिए अभिलेख तैयार करने, विनिश्चयों की संसूचना देने तथा समस्त अन्य आनुषंगिक तथा सहायक विषयों के लिए उत्तरदायी होगा।

10. **महानगर नियोजन समिति का कार्यालय.-** महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, समिति को अनुसचिवीय सहायता उपलब्ध कराएगा। महानगर क्षेत्र विकास, प्राधिकरण, तकनीकी कार्यों के लिए विशेषज्ञों सहित ऐसी संख्या में अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जैसा कि इसके कृत्यों तथा कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

अध्याय-तीन

महानगर नियोजन समिति का निर्वाचन

11. **निर्वाचित सदस्य तथा मतदाता सूची.-**

(1) महानगर आयुक्त, नियम 4 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) में यथा उल्लिखित महानगर क्षेत्र में, नगरपालिकाओं तथा पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या अवधारित करेगा।

(2) सदस्यों के निर्वाचन के संचालन के लिए, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, महानगर क्षेत्र के भीतर आने वाले किसी संभागीय आयुक्त को निर्वाचन प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी।

(3) निर्वाचन प्राधिकारी, प्रत्येक नगरपालिका तथा पंचायत के लिए मतदाताओं की सूची तैयार करेगा। निर्वाचन प्राधिकारी, संबंधित जिला कलक्टरों से महानगर क्षेत्र के भीतर आने वाली प्रत्येक नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों तथा पंचायतों के निर्वाचित अध्यक्षों की सूची प्राप्त करेगा।

(4) निर्वाचन प्राधिकारी, एक पंजीयन अधिकारी तथा इतने सहायक पंजीयन अधिकारियों, जितने कि मतदाता सूची के तैयार किए जाने में पंजीयन अधिकारी की सहायता करने के लिए आवश्यक हो नियुक्त करेगा।

(5) निर्वाचन प्राधिकारी, महानगर क्षेत्र के भीतर आने वाले जिला कलक्टर, जिला पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के संबंधित कार्यालयों के सूचना पटल पर यथा विहित प्ररूप-एक में मतदाताओं की प्रारूप सूची चस्पा करेगा तथा विनिर्दिष्ट करेगा, कि उक्त सूची के संबंध में कोई आपत्ति या दावे, विचार के लिए

15 दिवस के भीतर पदाभिहित अधिकारी के समक्ष दर्ज किए जा सकेंगे। तत्पश्चात् कोई दावा या आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

(6) पंजीयन अधिकारी, दावे तथा आपत्तियों की संक्षिप्त जांच करने के पश्चात्, अपने विनिश्चय को लिखित में अभिलिखित करेगा। पंजीयन अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा वह अपने विनिश्चय के अनुसार मतदाता सूची को संशोधित करेगा।

(7) इस प्रकार संशोधित मतदाता सूची अंतिम होगी तथा पंजीयन अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणीकृत उसकी एक प्रति उसके कार्यालय में रखी जाएगी तथा सूचना पटल पर चिपकाई जाएगी तथा दूसरी प्रति महानगर आयुक्त के कार्यालय में जमा की जाएगी।

(8) ऊपर उप-नियम (7) में निर्दिष्ट मतदाता सूची आगामी निर्वाचन के लिए पुनरीक्षित किए जाने तक प्रवृत्त रहेगी।

12. निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति.-

(1) समिति के सदस्यों के निर्वाचन के संचालन के प्रयोजन के लिए निर्वाचन प्राधिकारी, अपर कलक्टर से अनिम्न पद श्रेणी के किसी अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा।

(2) निर्वाचन प्राधिकारी, डिप्टी कलक्टर से अनिम्न पद श्रेणी के एक या एक से अधिक अधिकारियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा।

(3) प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी, ऐसे नियंत्रण तथा प्रतिबंधों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जाए, निर्वाचन अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिए सक्षम होगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन प्राधिकारी के सामान्य निर्देश तथा अधीक्षण के अधीन कार्य करेंगे।

(5) किसी निर्वाचन में, निर्वाचन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा, कि वह इन नियमों के अधीन उपबंधित रीति में, समस्त ऐसे कार्य एवं कृत्य करेगा, जैसे कि निर्वाचन के प्रभावी रूप से संचालन करने के लिए आवश्यक समझा जाए।

13. पीठासीन तथा मतदान अधिकारियों की नियुक्ति.-

(1) निर्वाचन अधिकारी, सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी को मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में तथा पीठासीन अधिकारी की सहायता करने के लिए ऐसी संख्या में मतदान अधिकारियों को नियुक्त करेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(2) पीठासीन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा, कि वह मतदान केन्द्र पर व्यवस्था बनाए रखे तथा निर्वाचन के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से संचालन को सुनिश्चित करने के लिए समस्त कदम उठाए।

(3) मतदान केन्द्र पर मतदान अधिकारी का यह कर्तव्य होगा, कि वह निर्वाचन के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संचालन के लिए उसके कृत्यों के निष्पादन में मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी की सहायता करे।

14. निर्वाचन की सूचना तथा उसके लिए समय-सारणी.-

(1) निर्वाचन प्राधिकारी, निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करते हुए, प्ररूप-दो में यथा विहित निर्वाचन समय-सारणी की सूचना जारी करेगा,-

(क) निर्वाचन के लिए, अभ्यर्थी के नामांकन भरने के लिए अंतिम तारीख, समय तथा स्थान, जो कि सूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् सात आधिकारिक कार्य दिवस होगी;

(ख) अभ्यर्थी के नामांकन भरने की अंतिम तारीख से तीन आधिकारिक कार्य दिवस नामांकन की संवीक्षा के लिए होगे;

(ग) अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख, नामांकन की संवीक्षा के लिए अंतिम तारीख से दो आधिकारिक कार्य दिवस होगी;

(घ) वह तारीख, जिसको तथा वह समय जिसके दौरान मतदान, यदि आवश्यक हो, तो कराया जाएगा;

(ड.) मतों की गणना के लिए तारीख, समय तथा स्थान; और

(च) निर्वाचित सदस्यों के परिणाम की घोषणा के लिए तारीख।

(2) निर्वाचित सदस्यों के परिणाम की घोषणा के पैतालीस दिवस पूर्व, प्ररूप-दो में सूचना, ऐसी सूचना की एक प्रति निर्वाचन अधिकारी तथा महानगर आयुक्त के कार्यालय में सूचना पटल पर चिपकाकर प्रकाशित की जाएगी।

15. अभ्यर्थियों का नामांकन.-

(1) किसी स्थान को भरने के लिए, निर्वाचन हेतु, अभ्यर्थी के रूप में किसी भी व्यक्ति को नामांकित किया जा सकेगा, यदि वह इन नियमों के नियम 4 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) में यथा उल्लिखित उस स्थान को भरने के लिए निर्वाचित किए जाने हेतु अर्हित है।

(2) प्रस्तुत किया गया प्रत्येक नामांकन, प्ररूप-तीन में यथा विहित होगा।

(3) प्रत्येक अभ्यर्थी, ऊपर नियम 14 के अधीन जारी सूचना में यथा विनिर्दिष्ट समय के दौरान तथा स्थान पर, प्ररूप-तीन में यथाविहित सम्यक् रूप से पूर्ण तथा अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित अपना नामांकन पत्र, व्यक्तिगत रूप से, निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

16. नामांकन पत्र की छटनी.-

(1) निर्वाचन अधिकारी, ऊपर नियम 15 के अधीन इस प्रकार प्राप्त नामांकन पत्रों की, नियम 14 के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर जांच करेगा। यदि अभ्यर्थी ऊपर नियम 15 के उपबंधों में से किसी उपबंध का पालन करने में असफल रहता है, तो यदि वह आवश्यक समझे, तो किसी नामांकन पत्र को रदद् कर सकेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक नामांकन पत्र पर उसे स्वीकार या रदद् कि जाने के संबंध में अपने विनिश्चय को दर्ज करेगा और यदि नामांकन पत्र रद्द किया जाता है, तो वह ऐसे रद्द किए जाने के कारणों के संक्षिप्त कथन, लिखित में अभिलिखित करेगा। निर्वाचन अधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

(3) समस्त नामांकन पत्रों की जांच किए जाने तथा उन्हें स्वीकार या रद्द किए जाने का विनिश्चय अभिलिखित किए जाने के ठीक पश्चात्, निर्वाचन अधिकारी, यथा विहित प्ररूप-चार में, विधिमान्य नामांकित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा तथा उसे नीचे अपने हस्ताक्षर के साथ, ऐसे चिपकाए जाने की तारीख तथा समय को सम्यक् रूप से अभिलिखित करते हुए,अपने कार्यालय के सूचना पटल पर चिपकाएगा।

17. निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार किया जाना.-

(1) कोई भी अभ्यर्थी, इन प्रयोजनों के लिए जारी प्ररूप-दो में यथा उल्लिखित समय के भीतर, निर्वाचन अधिकारी को आवेदन सौंपकर, अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेगा।

(2) ऊपर उप-नियम (1) के अधीन अभ्यर्थिता वापस ले सकने की कालावधि की समाप्ति के तुरंत पश्चात्, निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों, अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी जिनके नामांकन अंतिम रूप से स्वीकार कर

लिए गए हैं तथा जिन्होंने उक्त कालावधि के दौरान अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है, की अंतिम सूची, उनके प्रथम नाम के वर्णमाला के क्रम (अल्फाबेटिकल आर्डर) में तैयार करेगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की प्ररूप-पांच में यथाविहित सूची, इसके तैयार किए जाने के तुरंत पश्चात्,अपने कार्यालय में सूचना-पटल पर चिपकाएगा और उसकी एक प्रति निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को भी प्रदान करेगा।

(4) निर्वाचन में भाग लेने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु के कारण निर्वाचन रद्द नहीं किया जाएगा।

18. निर्वाचन के लिए चुनाव तथा मतदान.-

(1) प्रत्येक निर्वाचन में, जहां मतदान होना है, मत, मतपत्र द्वारा, यहां इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में किया जाएगा तथा कोई भी मत, प्रतिनिधि (प्राक्सी) द्वारा प्राप्त नहीं किया जाएगा।

(2) प्रत्येक मतपेटी ऐसी बनावट की होगी, कि उसमें मतपत्र डाले तो जा सकें, किन्तु पेटी को खोले बिना और सील को तोड़े बिना, निकाले न जा सकें।

(3) मतपत्र में अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में रखे जाएंगे, जिसमें कि निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची में वे आए हों।

(4) पीठासीन अधिकारी, एक समय में मतदान केन्द्र के भीतर दाखिल होने वाले मतदाताओं की संख्या को विनियमित करेगा।

(5) पीठासीन अधिकारी, मतदान केन्द्रों पर, मतदान प्रारंभ होने के ठीक पूर्व मतदान में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक मतपेटी को अभ्यर्थियों द्वारा निरीक्षण की अनुमति देगा, जो कि मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रह सकेंगे तथा उन्हें एवं उपस्थित समस्त अन्य व्यक्तियों को दिखाएगा, कि वह खाली है।

(6) पीठासीन अधिकारी, मतदान केन्द्रों पर ऐसे व्यक्तियों को नियोजित कर सकेगा, जैसा कि मतदाताओं की पहचान में सहायता करने अथवा मतदान कराने में अन्यथा सहायता करने के लिए वह उचित समझे।

(7) मतदाता, मतपत्र प्राप्त होने पर, तुरंत मतदान कक्ष की ओर अग्रसर होगा, वहां मतपत्र पर एक चिन्ह, इस प्रयोजन के लिए दिए गए साधन से उस अभ्यर्थी (अधिकतम 30 अभ्यर्थियों के अध्यधीन रहते हुए) के नाम के साथ दिए स्थान पर, जिसे कि वह मत देना चाहता है, अंकित करेगा, अपने मत को

छिपाने के लिए मतपत्र को मोड़ेगा, मुडे हुए मतपत्र को मतपेटी में डालेगा तथा मतदान केन्द्र को छोड़ देगा।

(8) मतदान के प्रयोजन के लिए नियत किए गए समय पर मतदान समाप्त हो जाना चाहिए। तथापि, मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय पर मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदाताओं को उनका मत डालने के लिए अनुमत किया जाना चाहिए, भले ही समाप्त होने के नियत समय के कुछ समय बाद तक के लिए मतदान जारी रखना पड़े। इस हेतु, पीठासीन अधिकारी द्वारा, मतदान समाप्त होने के विहित समय पर पंक्ति में खड़े सभी निर्वाचकों को, पंक्ति में अंत में खड़े व्यक्ति से प्रारंभ करते हुए पूर्व से क्रमांकित पर्चियां वितरित की जानी चाहिए।

(9) मतदान की समाप्ति के पश्चात्, जितना शीघ्र संभव हो सके, पीठासीन अधिकारी, अभ्यर्थियों की उपस्थिति में मतपेटी को सील करेगा।

(10) मतदान की समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी प्ररूप-छह में एक मतपत्र लेखा तैयार करेगा और ''मतपत्र लेखा'' लिखकर पृथक लिफाफे में इसे संलग्न करेगा। फिर पीठासीन अधिकारी पृथक-पृथक लिफाफों में मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, मतदाताओं को जारी नहीं किए गए मतपत्र,निरस्त किए गए मतपत्र तथा निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा निर्देशित कोईअन्य पत्र रखेगा।

(11) पीठासीन अधिकारी, मतपेटियां, लिफाफे आदि, ऐसे स्थान पर,जैसा कि निर्वाचन अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी निर्देश दे, निर्वाचन अधिकारी को सौंपेगा।

19. मतों की गणना.-

(1) निर्वाचन में, जहां मतदान हुआ है, मतों की गणना या तो निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी के पर्यवेक्षण तथा निर्देशन के अधीन की जाएगी तथा चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को मत गणना के समय उपस्थित रहने का अधिकार होगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो मतगणना के दौरान स्वयं कदाचार करता है अथवा निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी, विधिपूर्ण निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है, तो उसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसे स्थान से हटाया जा सकेगा, जहां कि मतगणना की जा रही है।

(3) निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी, मतदान केन्द्र पर उपयोग की गई मतपेटियों को खुलवा सकेंगे तथा उनके भीतर की सामग्री को एक साथ गिनवा सकेंगे।

(4) किसी मतपेटी में अंतर्विष्ट मतपत्र निरस्त किया जाएगा, यदि उस पर कोई चिन्ह या लेख हो, जिससे मतदाता की पहचान की जा सके या वह नकली मतपत्र हो या उसे इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत किया गया हो, कि वास्तविक मतपत्र के रूप में उसकी पहचान स्थापित न की जा सके या उस पर कोई क्रम संख्या अंकित हो या यदि मतपत्र पर 30 से अधिक अभ्यर्थियों के चिन्ह अंतर्विष्ट हों या वह उपयोग के लिए प्राधिकृत मतपत्र की क्रम संख्या से भिन्न हो या उसे किसी प्राधिकृत साधन से चिन्हित नहीं किया गया हो या उस पर किसी ऐसे साधन से या ऐसी रीति में चिन्ह लगाया गया हो, जो कि इस प्रयोजन के लिए विहित साधन या रीति से भिन्न हो।

(5) प्रत्येक मतपत्र, जो उपर्युक्त उप-नियम (4) के अधीन रद्द न किया गया हो, उसकी गणना की जाएगी।

(6) निर्वाचन अधिकारी, जहां तक हो सके, मतों की निरंतर गणना करेगा और किसी अंतराल के दौरान, जबकि गणना स्थगित की जानी हो, मतपत्र, लिफाफे तथा निर्वाचन से संबंधित अन्य कागज पत्र, अपनी स्वयं की सील से सीलबंद रखेगा।

(7) निर्वाचन अधिकारी, अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों के अवरोही क्रम के अनुसार अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा।

(8) नियम 11 के उप-नियम (1) में उल्लिखित स्थानों को भरने के लिए, अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मतों के अवरोही क्रम के अनुसार, ऊपर उप-नियम (7) में की सूची में से दो पृथक-पृथक सूचियां, एक नगरपालिकाओं से निर्वाचित अभ्यर्थियों के लिए तथा अन्य पंचायतों से निर्वाचित अभ्यर्थियों के लिए तैयार की जाएगी:

परंतु यदि अंतिम स्थान के लिए निर्वाचन में भाग लेने वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों को एक समान संख्या में मत प्राप्त होते हैं, तो निर्वाचन अधिकारी लाट डालकर परिणाम तय कर सकेगा और उनमें से एक को निर्वाचित घोषित कर सकेगा।

20. परिणाम की घोषणा.- मतों की गणना पूरी होने पर, निर्वाचन अधिकारी प्ररूप-सात में यथा विहित निर्वाचित अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करेगा और तत्काल उसकी हस्ताक्षरित प्रति निर्वाचन प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।

21. समिति के निर्वाचित सदस्यों के नामों का प्रकाशन.-

(1) निर्वाचन प्राधिकारी, महानगर नियोजन समिति के समस्त निर्वाचित सदस्यों के नामों को, ऐसे नामों की सूची उनके स्थायी पतों के साथ तैयार

कर, अपने कार्यालय तथा महानगर आयुक्त के कार्यालय में, सूचना पटल अथवा किसी प्रमुख स्थान पर चिपकवाकर प्रकाशित कराएगा।

(2) निर्वाचन प्राधिकारी, निर्वाचित सदस्यों की एक संपूर्ण सूची आगामी आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।

अध्याय - चार
महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण

22. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कर्मचारिवृंद.-

(1) राज्य सरकार, एक महानगर आयुक्त की नियुक्ति करेगी तथा आदेश द्वारा, समय-समय पर महानगर आयुक्त की पदावधि/कार्यकाल तथा सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें अवधारित करेगी।

(2) राज्य सरकार, अधिकारियों को, सदस्य-नियोजन, सदस्य-अभियांत्रिकी, सदस्य-पर्यावरण, सदस्य-संपदा, सचिव तथा सदस्य-वित्त के रूप में नियुक्त करेगी तथा उनकी नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें, जॉब चार्ट, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व, शक्तियां तथा कृत्य निर्धारित करेगी।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण के अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद के पदों के सृजन को, जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों, वेतन तथा भत्तों और शक्तियों तथा कृत्यों के साथ मंजूरी प्रदान करेगी।

23. सदस्यों की पदावधि.-

(1) अधिनियम की धारा 8 तथा 10 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी, जैसी कि उन्हें नामनिर्देशित करते समय राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। राज्य सरकार द्वारा, सदस्य (सदस्यों) को, उनका कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व, किसी भी समय उसका कोई कारण बताए बिना, हटाया जा सकेगा।

(2) प्राधिकरण अथवा कार्यपालिक समिति के नामनिर्देशित गैर-सरकारी सदस्य, सदस्य के रूप में कोई अन्य कृत्य करने के लिए रूपए दस हजार प्रति सम्मिलन भत्ता तथा राज्य सरकार के सचिव की पद श्रेणी के लिए यथा विहित यात्रा भत्ते प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(3) प्राधिकरण या कार्यपालिक समिति के सदस्य के रूप में कोई व्यक्ति, कोई पद धारण करने के चलते अथवा राज्य विधान सभा या किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा समिति या निकाय का सदस्य होने के कारण नामनिर्देशित दिया गया है। यथास्थिति, उस पद पर नहीं रहते या ऐसे सदस्य के रूप में नहीं रहते ही, प्राधिकरण या कार्यपालिक समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा।

(4) प्राधिकरण अथवा कार्यपालिक समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न, सदस्य किसी भी समय, लिखित में अध्यक्ष को संबोधित कर, अपना पद त्याग सकेगा। त्यागपत्र, अध्यक्ष द्वारा उसके स्वीकार किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

(5) ऐसे त्यागपत्र अथवा किसी अन्य कारण, जैसे कि किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता, से उद्भूत आकस्मिक रिक्ति, यथाशक्यशीघ्र नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी, तथापि, ऐसी आकस्मिक रिक्ति की गणपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगाः

परंतु इस प्रकार नामनिर्देशित सदस्य, उस कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके लिए वह सदस्य, जिसके कि स्थान पर वह नामनिर्देशित किया गया है, पद धारण करता।

24. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कारबार का संचालन.-

(1) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, निम्नलिखित उपबंधों के अध्यधीन रहते सम्मिलन करेगा तथा अपने सम्मिलनों के दिन, समय, सूचना, प्रबंधन तथा स्थगन के संबंध में, ऐसी व्यवस्थाएं कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे, अर्थात्ः-

(क) सामान्य सम्मिलन, प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार आयोजित किया जाएगा;

(ख) अध्यक्ष, जब कभी भी वह उचित समझे, विशेष सम्मिलन बुला सकेगा;

(ग) अध्यक्ष, प्राधिकरण के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित, प्राधिकरण का कोई उपाध्यक्ष, ऐसे सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा;

(घ) किसी सम्मिलन में समस्त प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा;

(ड.) प्रत्येक सम्मिलन के कार्यवृत्त (मिनट), इस प्रयोजन के लिए उपबंधित की जाने वाली पुस्तक में अभिलिखित किए जाएंगे।

(2) किसी सम्मिलन में कारबार के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति, सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगीः

परंतु यदि गणपूर्ति नहीं होती है, तो अध्यक्ष, सम्मिलन को ऐसे दिन तथा समय के लिए स्थगित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

(3) प्राधिकरण, समय-समय पर, ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन अथवा कृत्यों के निष्पादन के लिए व्यक्तियों की ऐसी संख्या से मिलकर कार्यात्मक कार्य समिति (समितियां), जैसे निविदा (टेंडर) समिति, तकनीकी जांच समिति, भूमि तथा संपत्ति निपटान समिति, आदि सृजित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

(4) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यात्मक समिति के किसी सदस्य को कार्यात्मक समितियों के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित कर सकेगा।

(5) ऐसी कार्यात्मक समिति (समितियों) की समस्त कार्यवाहियां प्राधिकरण के समक्ष रखी जाएंगी।

(6) प्राधिकरण का कोई सदस्य, जिसने प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित, किसी संविदा, ऋण व्यवस्था अथवा किए जाने वाले प्रस्ताव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अंश या आर्थिक अथवा अन्य हित अर्जित किया है, प्राधिकरण का सदस्य नहीं रह जाएगाः

परंतु किसी सदस्य को केवल इस आधार पर कोई अंश या हित रखने वाला नहीं समझा जाएगा, कि वह किसी ऐसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव से संबंधित किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का अंशधारक है या वह स्वयं या उसका कोई रिश्तेदार प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से नियोजित है या प्राधिकरण के सदस्य के रूप में उसका ऐसा अंश या हित है या उसकी संपत्ति या कोई ऐसी संपत्ति, जिसमें उसका अंश या हित है, किसी समझौते द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार, अर्जित की गई है या की जा रही है या पट्टे पर ली गई है या पट्टे पर ली जा रही है।

(7) यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है, कि क्या प्राधिकरण का कोई सदस्य ऊपर उप-नियम (6) में उल्लिखित निरहर्ताओं के अध्यधीन रहते हुए निरर्हित हो गया है, तो यह प्रश्न राज्य सरकार के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

25. अध्यक्ष की शक्तियां तथा कर्तव्य.- प्राधिकरण का अध्यक्ष, प्राधिकरण के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करेगा तथा उन पर नियंत्रण रखेगा और ऐसी अन्य

शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि समय-समय पर, प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएः

परंतु अध्यक्ष उसे प्रदत्त कोई भी शक्तियां और कर्तव्य उपाध्यक्ष (उपाध्यक्षों) को सौंप सकेगा।

26. महानगर आयुक्त की शक्तियां एवं कर्तव्य.-

(1) महानगर आयुक्त, प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि प्राधिकरण, इस निमित्त प्रस्ताव (रिजोल्यूशन) द्वारा प्रदत्त करे।

(2) महानगर आयुक्त, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त अधिकारीयों को सम्मिलित करते हुए अपने समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों का पर्यवेक्षण तथा उन पर नियंत्रण करेगा।

(3) महानगर आयुक्त, प्राधिकरण को शोध्य समस्त राशियों के संग्रहण तथा प्राधिकरण द्वारा देय समस्त राशियों के भुगतान का उत्तरदायी होगा। वह समस्त परिसंपत्तियों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, जिसमें प्राधिकरण के नकद भी सम्मिलित है। वह प्राधिकरण के कार्यों के संबंध में समस्त कार्यपालिक कृत्यों के निष्पादन के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(4) महानगर आयुक्त, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अपनी शक्तियां सौंप सकेगा, सिवाय उनके, जो कि प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपी गई हो।

27. कार्यपालिक समिति की शक्तियां तथा कृत्य.-

(1) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, कार्यपालिक समिति निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निवर्हन करेगी, अर्थात्ः-

(क) कर्मचारिवृंद की नियुक्ति;

(ख) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं की योजना एवं क्रियान्वयन, जिसमें ऐसी परियोजनाओं की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति सम्मिलित है;

(ग) महानगर विकास निधि के अधिशेष (सरप्लस) धन का निवेश;

(घ) महागनर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की ओर से किन्हीं विधिक कार्यवाहियों को संस्थित करना, उनका संचालन करना तथा उन्हें वापस लेना;

(ड.) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यपालिक समिति को समय-समय पर सौंपी गई शक्तियां (विनियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) अथवा अधिरोपित कृत्य या कर्तव्य।

(2) कार्यपालिक समिति, समय-समय पर, इस निमित्त पारित प्रस्ताव द्वारा यह निर्देश दे सकेगी, कि कोई शक्ति या कोई कृत्य या कर्तव्य, जो ऊपर उप-नियम (1) द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किए गए हैं, महानगर आयुक्त द्वारा प्रयोग या निर्वहन किए जाएंगे।

28. कार्यपालिक समिति के सम्मिलन.-

(1) कार्यपालिक समिति, ऐसे स्थान और ऐसे समय पर सम्मिलन करेगी, जैसा कि उसके अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाए और वह ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, जैसा कि वह अवधारित करे।

(2) कार्यपालिक समिति के सम्मिलन के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

अध्याय - पांच
महानगर विकास तथा निवेश योजना

29. महानगर विकास तथा निवेश योजना के प्रारूप के प्रकाशन की रीति.- अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) के अधीन महानगर विकास तथा निवेश योजना का प्रारूप, प्ररूप-आठ में यथा विहित एक सूचना के साथ, ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर, उक्त प्रारूप योजना पर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए,-

(क) मध्यप्रदेश राजपत्र; और

(ख) कम से कम दो समाचार पत्र, जिनमें से एक हिंदी में होगा, जिसका संबंधित क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो, जिसमें यह बताया गया हो कि महानगर विकास

तथा निवेश योजना का प्रारूप धारा 15 के अधीन तैयार कर लिया गया है और यह आम जनता के निरीक्षण के लिए संबंधित महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, संभागीय आयुक्त (आयुक्तों), जिला कलक्टर (कलक्टरों), नगर तथा ग्राम निवेश, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण और संबंधित नगरीय स्थानीय प्राधिकरणों के कार्यालय में, कार्यालय समय में, निरीक्षण के लिए उपलब्ध है,

में प्रकाशित किया जाएगा।

30. अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन गठित समिति की नियुक्ति.-

(1) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, महानगर विकास तथा निवेश योजना के प्रारूप पर किसी अभ्यावेदन, आपत्तियों और सुझावों की सुनवाई और विचार करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति नियुक्त करेगा अर्थात्:-

(क) नगर तथा ग्राम निवेश का प्रतिनिधि, जो वरिष्ठ नगर योजनाकार के पद से निम्न पदश्रेणी का न हो - सदस्य

(ख) सदस्य- अभियांत्रिकी - सदस्य

(ग) सदस्य- पर्यावरण - सदस्य

(घ) सदस्य-वित्त - सदस्य

(ङ.) सदस्य- योजना - संयोजक

(2) सम्मिलन के लिए आवश्यक गणपूर्ति कम से कम तीन सदस्यों से होगी ।

31. अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) के अधीन गठित समिति के कृत्य.- प्राप्त आपत्तियों को अभिलिखित किए जाने, समिति के सम्मिलन आयोजित करने तथा योजना प्रारूप में संशोधनों या परिवर्तनों के संबंध में उसकी सिफारिशें प्राप्त करने की रीति निम्नानुसार होगी,-

(क) समिति का संयोजक, प्रारूप योजना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर प्राप्त सभी अभ्यावेदन, आपत्तियों और सुझावों को प्ररूप-नौ में यथा विहित संकलित करेगा । ऐसी आपत्तियां और/या सुझाव, जो एक जैसे या समान प्रकृति के हों, जहाँ तक हो सके, एक समूह में अभिलिखित किए जाएंगे;

(ख) संयोजक, उन व्यक्तियों के नाम अभिलिखित करेगा, जिन्होंने प्ररूप- नौ में यथा विहित प्रारूप योजना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर अपने अभ्यावेदन,

आपत्तियां और/या सुझाव प्रस्तुत किए थे और प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन, आपत्तियों और/या सुझावों का एक संक्षिप्त विवरण भी तैयार करेगा;

(ग) ऊपर उल्लिखित प्ररूप-नौ में तैयार किया गया अभिलेख, प्रारूप के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि की समाप्ति से तीस दिनों के भीतर संकलित किया जाएगा;

(घ) संयोजक, प्रकाशित हुए प्रारूप योजना और साथ ही, प्राप्त और अभिलिखित किए गए अभ्यावेदन, आपत्तियों और सुझावों का भी संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करेगा। वह, महानगर विकास तथा निवेश योजना नक्शे के प्रारूप पर अभ्यावेदन, सुझाव और आपत्तियों की अवस्थिति दर्शाएगा;

(ड.) ऊपर दिए गए अनुसार संकलित आपत्तियों और सुझावों की सॉफ्ट प्रति इच्छुक सदस्य को उपलब्ध कराई जा सकेगी;

(च) संयोजक, सभी अभ्यावेदन, आपत्तियों तथा सुझावों की सुनवाई पूर्ण करने के लिए ऐसी रीति में आवश्यक सम्मिलनों की तारीख (तारीखें) इस प्रकार नियत करेगा, कि सुनवाई, प्रारूप योजना के प्रकाशन की तारीख से 120 दिनों के भीतर पूरी हो जाए;

(छ) समिति के किसी सदस्य को, अपनी ओर से सम्मिलन में उपस्थित होने के लिए, किसी प्रतिनिधि को नामनिर्देशित करने को अनुमत नहीं किया जाएगा। सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को सम्मिलन की कार्यवाही में उपस्थित हाने के लिए अनुमत नही किया जाएगा। तथापि, संयोजक, ऐसे अन्य अधिकारियों को उपस्थित रहने की अनुमति दे सकेगा, जिन्हें वह अपनी सहायता करने के लिए आवश्यक समझे;

(ज) प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम प्ररूप-नौ में तैयार किए गए अभिलिखों में सम्मिलित किया गया है, उसे संयोजक द्वारा प्ररूप- दस में सुनवाई के लिए सूचना, ऐसी सुनवाई के लिए नियत तारीख से कम से कम 7 दिवस पूर्व जारी की जाएगी;

(झ) व्यक्तियों की संख्या जिन्हे उपरोक्त खंड (ज) के अधीन सूचना जारी की जानी है, ऐसी रीति में निर्धारित की जाएगी, कि कार्यवाही सुचारू और व्यवस्थित रीति में संचालित हो सके;

(ञ) समिति की कार्यवाहियाँ, उसके सम्मिलन के लिए नियत समय पर प्रारंभ होंगी। वे व्यक्ति, जिन्हें समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए सूचना जारी की गई हो, उन्हें पृथक-पृथक या समूह में, जैसा कि संयोजक द्वारा विनिश्चिय किया जाए, बुलाया जा सकेगा;

(ट) कोई भी व्यक्ति जो सुनवाई के लिए समिति के समक्ष उपस्थित होता है, उससे उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाएगी और यदि वह ऐसा करने से इंकार करता है, तो संयोजक, रजिस्टर में ऐसे इंकार किए जाने को अभिलिखित करेगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं या लिखित में सम्यकरूप से प्राधिकृत अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकेगा;

(ठ) संयोजक, सुनवाई के दौरान उठाए जा सकने वाले किसी भी नए मुद्दे का संक्षिप्त ब्यौरा तैयार करेगा। सुनवाई के दौरान, यदि कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उन्हें भी अभिलिखित किया जाएगा। यह अभिलेख प्ररूप- ग्यारह में यथा विहित तैयार किया जाएगा;

(ड) समिति द्वारा सभी व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात, संयोजक, सम्मिलनों की आगामी तारीखें नियत करेगा, जिसमें समिति, प्राप्त या/और सुनी गई आपत्तियों और सुझावों पर अपनी सिफारिशें तैयार करेगी;

(ढ) समिति, अंतिम सम्मिलन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप प्रदान करेगी;

(ण) समिति, प्राप्त अभ्यावेदन, आपत्तियों और सुझावों पर सिफारिश करने के अतिरिक्त, महानगर विकास तथा निवेश योजना के प्रारूप के संबंध में संशोधनों या परिवर्तनों में अपने सुझाव भी दे सकेगी । केवल वही सुझाव अभिलिखित किए जाएंगे, जिन्हें उपस्थित सदस्यों के बहुमत से स्वीकृत किया जाए;

(त) संयोजक, समिति की सिफारिशें, तीन प्रतियों में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित अपनी रिपोर्ट, अभ्यावेदन, आपत्तियों और/या सुझावों की अवस्थिति दर्शाते हुए नक़्शे की सॉफ्ट प्रति के साथ, महानगर आयुक्त को प्रस्तुत करेगा, ताकि वे प्रारूप योजना के प्रकाशन की तारीख से 180 दिनों के भीतर उन तक पहुँच जाएँ; और

(थ) यदि संयोजक द्वारा ऐसा विनिश्चित किया जाए, तो समिति के सम्मिलन की कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी की जा सकेगी ।

32. स्वीकृत महानगर विकास तथा निवेश योजना के प्रकाशन की रीति.- धारा 17 की उप-धारा (2) के अधीन प्ररूप-बारह में एक सार्वजनिक सूचना निम्नलिखित में प्रकाशित की जाएगी.-

(क) मध्यप्रदेश राजपत्र; और

(ख) कम से कम दो समाचार पत्र, जिनमें से एक हिंदी में होगा, जिनका योजना क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो, जिसमें यह बताया जाएगा कि महानगर विकास

तथा निवेश योजना को राज्य सरकार द्वारा मंज़ूरी दे दी गई है और यह संबंधित महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, संभागीय आयुक्त (आयुक्तों), जिला कलक्टर (कलक्टरों), नगर तथा ग्राम निवेश, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण और संबंधित नगरीय स्थानीय प्राधिकरणों के कार्यालय में, कार्यालय समय में, आम जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी।

33. महानगर विकास तथा निवेश योजना में संशोधन.-

(1) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या समिति या महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अनुरोध पर , संघ या राज्य सरकार और उसके उद्यमों की किसी प्रस्तावित परियोजना के लिए या राज्य के विकास से संबंधित किसी प्रस्तावित परियोजना के लिए या प्राधिकरण की किसी योजना को कार्यान्वित करने के लिए, महानगर विकास तथा निवेश योजना में संशोधन कर सकेगी और महानगर विकास तथा निवेश योजना में इस प्रकार किया गया संशोधन योजना का अभिन्न अंग होगा।

(2) जहाँ कोई व्यक्ति, महानगर विकास तथा निवेश योजना में संशोधन के लिए आवेदन करना चाहता है, तो वह महानगर आयुक्त को प्ररूप- तेरह में यथा विहित आवेदन करेगा। ऐसे आवेदन के साथ प्ररूप- तेरह में यथा उल्लिखित दस्तावेज और प्रति हेक्टेयर या उसके भाग के लिए रुपए 25000/- का आवेदन शुल्क होगा,-

(क) यदि संशोधन का ऐसा प्रस्ताव, महानगर आयुक्त द्वारा, सोसायटी के लिए लाभप्रद समझा जाए, तो वह महानगर विकास तथा निवेश योजना में ऐसा संशोधन कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाए। तथापि, ऐसे किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, जहाँ भूमि एकचक/सतत न हो या 40 हेक्टेयर से कम हो;

(ख) महानगर आयुक्त, आवेदन पर विचार करने के पश्चात, प्ररूप-चौदह में एक आम सूचना प्रकाशित करेगा। ऐसी सूचना कम से कम एक-एक ऐसे हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी, जिसका संबंधित क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो। प्रस्तावित संशोधनों का विवरण संबंधित महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, संभागीय आयुक्त (आयुक्तों), जिला कलक्टर (कलक्टरों), नगर तथा ग्राम निवेश, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण और संबंधित नगरीय स्थानीय प्राधिकरणों के कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान आम जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा;

(ग) महानगर आयुक्त, उस व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करेगा, जो प्रस्तावित संशोधन के संबंध में अपनी आपत्तियां या सुझाव नियत समय के भीतर प्रस्तुत करें;

(घ) महानगर आयुक्त, आपत्तियों/सुझावों पर विचार करने के पश्चात् संशोधन के लिए दस्तावेज़ के साथ, अपनी राय राज्य सरकार को भेजेगा;

(ड.) राज्य सरकार, आपत्तियों/सुझावों और महानगर आयुक्त की राय पर विचार करने के पश्चात् योजना में उस रीति में संशोधन कर सकेगी, जैसा कि वह समुचित समझे। इस प्रकार किया गया संशोधन महानगर विकास तथा निवेश योजना का एक अभिन्न अंग बन जाएगा;

(च) राज्य सरकार, ऊपर खंड (ड.) के अधीन योजना में संशोधन करते समय, ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी, जैसी कि वह समुचित समझे;

(छ) आवेदक को क्षेत्र की सिंचित कृषि की भूमि के लिए प्रचलित कलक्टर गाइडलाइन दर का 15% उदग्रहण (लेवी) राशि का भुगतान करना होगा।

अध्याय - छह
एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण

34. एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण का गठन.-

(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,अधिनियम की धारा **19** की उप-धारा **(1)** के अधीन महानगर क्षेत्र के लिए निम्नलिखित सदस्यों के साथ एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण का गठन कर सकेगी,-

(क) मुख्य सचिव - अध्यक्ष;

(ख) नगरीय विकास तथा आवास, परिवहन, लोक निर्माण विभाग के भारसाधक सचिव - सदस्य;

(ग) आयुक्त, नगर निगम (निगमों) - सदस्य;

(घ) संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय - सदस्य;

(ङ.) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम (एमपीआरटीसी) - सदस्य;

(च) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल) - सदस्य;

(छ) पुलिस आयुक्त - सदस्य;

(ज) सदस्य-सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य;

(झ) महाप्रबंधक, संबंधित रेलवे जोन - सदस्य;

(ञ) नगरीय परिवहन के क्षेत्र में के दो विशेषज्ञ (सरकार द्वारा नामनिर्देशित) -सदस्य;

(ट) महानगर आयुक्त - सदस्य संयोजक;

(ठ) सरकार द्वारा नामनिर्देशित दो से अनधिक कोई अन्य व्यक्ति;

(ड़) विशेष आमंत्रिती,-

(एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि;

(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि।

(2) नियम 23 के उपबंध, नामनिर्देशित सदस्यों के कार्यकाल के लिए यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

अध्याय - सात
विकास और भूमि के उपयोग का नियंत्रण

35. **क्षेत्र विकास योजना के प्रारूप को प्रकाशित करने की रीति.**- धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन क्षेत्र विकास योजना का प्रारूप , प्ररूप- पन्द्रह में एक सूचना के साथ, ऐसी सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिवस की अवधी के भीतर, उक्त प्रारूप योजना पर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए,-

(क) मध्यप्रदेश राजपत्र; और

(ख) संबंधित क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो हिंदी समाचार पत्रों में, यह कथित करते हुए, कि क्षेत्र विकास योजना का प्रारूप धारा 23 के अधीन तैयार कर लिया गया है और यह संबंधित महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, संभागीय आयुक्त (आयुक्तों) , जिला कलक्टर (कलक्टरों), नगर तथा ग्राम निवेश , नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण तथा नगरीय स्थानीय

प्राधिकरणों के कार्यालयों में, कार्यालय समय में, आम जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध है;

में प्रकाशित किया जाएगा।

36. **सुनवाई का अवसर.**- महानगर आयुक्त या उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत कोई अधिकारी, विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगा और इसमें हितबद्ध सभी व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा । ततपश्चात, क्षेत्र विकास योजना, ऐसे उपांतरणों के साथ, जिन्हें वह आवश्यक समझे, तैयार की जाएगी और महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

37. **क्षेत्र विकास योजना का अनुमोदन एवं अंगीकरण.**-

(1) महानगर आयुक्त से क्षेत्र विकास योजना प्राप्त होने पर, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जैसा कि वह उचित समझे, आगामी सम्मिलन में क्षेत्र विकास योजना को अनुमोदित या अस्वीकृत कर सकेगा और यदि वह स्वीकृत करता है, तो उसे राजपत्र में प्ररूप-सोलह में यथा विहित अधिसूचित करेगा।

(2) इस प्रकार अधिसूचित क्षेत्र विकास योजना, अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होगी।

(3) निरस्त किए जाने की दशा में, प्राधिकरण, महानगर आयुक्त से क्षेत्र विकास योजना का नया प्रारूप तैयार करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

38. **क्षेत्र विकास योजना में संशोधन.**-

(1) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, स्वप्रेरणा से या यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसा अपेक्षित किया जाए, तो संघ या राज्य सरकार और उसके उद्यमों की किसी भी प्रस्तावित परियोजना या राज्य के विकास से जुड़ी किसी भी प्रस्तावित परियोजना के लिए क्षेत्र विकास योजना में संशोधन कर सकेगा और क्षेत्र विकास योजना में इस प्रकार किया गया संशोधन पुनरीक्षित योजना का एक अभिन्न अंग होगा।

(2) जहां कोई व्यक्ति क्षेत्र विकास योजना में संशोधन के लिए आवेदन करने का इच्छुक है, वहां वह महानगर आयुक्त को प्ररूप- सत्रह में यथा विहित आवेदन करेगा। ऐसे आवेदन के साथ प्ररूप- सत्रह में उल्लिखित दस्तावेज और प्रति हेक्टेयर या उसके भाग के लिए रुपए 10,000/- का आवेदन शुल्क होगा,-

(क) यदि महानगर आयुक्त द्वारा संशोधन का ऐसा प्रस्ताव सोसायटी के लिए लाभप्रद समझा जाता है, तो वह क्षेत्र विकास योजना में ऐसा संशोधन कर सकेगा, जैसा कि वहआवश्यक समझे;

(ख) महानगर आयुक्त, आवेदन पर विचार करने के पश्चात, प्ररूप-अठारह में एक आम सूचना प्रकाशित कर सकेगा। ऐसी सूचना कम से कम एक-एक ऐसे हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी, जिसका संबंधित क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो। प्रस्तावित संशोधनों का विवरण, संबंधित महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, संभागीय आयुक्त (आयुक्तों), जिला कलक्टर (कलक्टरों), नगर तथा ग्राम निवेश, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण और संबंधित नगरीय स्थानीय प्राधिकरणों के कार्यालयों में, कार्यालय समय के दौरान, आम जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा;

(ग) महानगर आयुक्त या उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी, विनिर्दिष्ट समय के भीतर, संशोधनों के संबंध में अपनी आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा;

(घ) महानगर आयुक्त, अपत्तियों/सुझावों पर विचार करने के पश्चात् संशोधन के लिए दस्तावेजों के साथ अपनी राय महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को भेजगा;

(ड.) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अगले सम्मिलन में, आपत्तियों/सुझावों और महानगर आयुक्त की राय पर विचार करने के पश्चात्, योजना में इस रीति में संशोधन कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे। इस प्रकार किया गया संशोधन क्षेत्र विकास योजना का एक अभिन्न अंग बन जाएगा;

(च) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण , ऊपर खंड (ड.) के अधीन योजना में संशोधन करते समय ऐसी शर्तें लगा सकेगा , जैसी कि वह समुचित समझे;

(छ) आवेदक, क्षेत्र की सिंचित कृषि की भूमि के लिए प्रचलित कलक्टर गाइडलाइन दर का 15% उदग्रहण(लेवी) राशि का भुगतान करेगा।

39. **नगर विकास योजना.-**

(1) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र में स्वयं से कोई नगर विकास योजना बना सकेगा या किसी अन्य निकाय को ऐसी नगर विकास योजना बनाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा । ऐसी नगर विकास योजना महानगर विकास तथा निवेश योजना के अधोसंरचना नेटवर्क के अनुरूप होगी।

(2) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, **1973** (क्र. **23** सन् **1973)** की धारा **49** से **60,** धारा **78** की उप-धारा **(2),** धारा **85** की उपधारा **(2)** के खण्ड (तेरह) तथा धारा 87 की उप-धारा **(3)** के उपबन्ध, उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए लागू होंगे, जब तक कि इसमें अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित न किया ज़ाए।

(3) महानगर आयुक्त ऐसी योजना के संबंध में, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा।

40. **संघ या राज्य सरकार की ओर से किए जाने वाले विकास का आशय.-** जहां संघ या राज्य सरकार किसी भूमि पर विकास करने का आशय रखती है, वहां संबंधित सरकार का प्राधिकृत अधिकारी प्रस्तावित विकास प्रारंभ करने से कम से कम 30 दिवस पूर्व इस आशय के संबंध में महानगर आयुक्त को लिखित में सूचित करेगा। ऐसी सूचना के साथ निम्नलिखित दस्तावेज और विवरण होंगे, अर्थात् :-

(क) भूमि का विवरण (सड़क/सड़कों के नाम के साथ वह अवस्थिति जिस पर भूमि स्थित है और उसकी सीमाएँ);

(ख) प्रश्नाधीन भूमि की खसरा संख्या और भूमि की बाहरी सीमा से 200 मीटर के भीतर आने वाली आस-पास की खसरा संख्या दर्शाने वाली खसरा योजना प्रश्नाधीन भूमि खसरा नक़्शे में लाल रंग से दर्शाई जाएगी;

(ग) प्रश्नाधीन भूमि दर्शाने वाली अवस्थिति योजना, जिसमें आस-पास की मुख्य सड़कें और दूसरे महत्वपूर्ण भवन दिखाई दें;

(घ) 1:400 से 1:2000 के स्केल पर सर्वेक्षण योजना मानचित्र देना होगा, जिसमें भूमि की सीमा अंकित हो,और 200 मीटर के दायरे में की भौतिक विशिष्टियां भी अंकित हो, जैसे नाला, पानी की जगहें, पेड़, ढलान, यदि भूमि उभरी-ढली है, तो कंटूर मानचित्र, उच्च दबाव विद्युत् लाइनें, विद्यमान सड़कें जो मार्गाधिकार दिखाएं, रेलवे लाइनें और रेलवे बाउंड्री, बिजली और टेलीफोन के खंभों की

स्थिति और ऐसे सभी अन्य विकास और विशिष्टियां जिनके आस-पास के क्षेत्रों और भूमि के साथ समन्वय करने की आवश्यकता है;

(ड.) प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में सभी विकास प्रस्ताव दर्शाने वाली एक योजना, एक सामान्य प्रतिवेदन के साथ, ताकि योजना को समझना आसान हो। ऐसी योजना को जल आपूर्ति, ड्रेनेज, बिजली और सीवरेज जैसी उपयोगिताओं और सेवाओं के संबंध में जानकारी अवश्य प्रदान करनी चाहिए;

(च) महानगर आयुक्त द्वारा यथाअपेक्षित अन्य वास्तु-संबंधी (आर्किटेक्चरल) ब्यौरे;

(छ) एक टीप, जिसमें बताया गया हो, कि किस प्रकार का विकास प्रस्तावित है, अर्थात् आवासीय, व्यावसायिक, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक, औद्योगिक, मिश्रित या कोई अन्य;

(ज) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम**, 2012** के अधीन नियोजित अनुज्ञप्त पंजीकृत योजनाकार/वास्तुविद्/अभियंता का नाम और पता ।

41. **अन्य द्वारा विकास अनुज्ञा.**- महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण , महानगर विकास तथा निवेश योजना में विनियमों द्वारा, विकास अनुज्ञा, ऐसी विकास अनुज्ञा के लिए विकास प्रभारों के मूल्यांकन, उदग्रहण(लेवी) और वसूली की प्रक्रिया विहित करेगा।

अध्याय - आठ
भूमि का निपटान

42. **भूमि तथा अन्य संपत्ति का निपटान.-**

(1) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की संपत्तियों का निपटान निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा**,-**

(क) सीलबंद लिफ़ाफ़े में/ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित करके; या

(ख) पूर्व निर्धारित मूल्य पर लॉटरी द्वारा।

(2) प्राधिकरण की संपत्तियां अंतर्ग्रस्त करने वाला महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ,परियोजनाओं को, सार्वजनिक- निजी भागीदारी के तरीके से और ऐसे किसी अन्य तरीके से, जैसा कि सरकार की पूर्व अनुमति से वह आवश्यक समझे, निष्पादित कर सकेगा:

परंतु ऐसी सभी परियोजनाओं में निजी भागीदार का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

(3) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण , विनियमों के माध्यम से, इस संबंध में मानक प्रचालन प्रक्रिया विहित कर सकेगा।

अध्याय - नौ
बजट और वार्षिक योजना

43. **वार्षिक बजट.-**

(1) महानगर आयुक्त, प्रत्येक वर्ष **10** मार्च तक, वार्षिक आय और व्यय की विवरणी तैयार कराएगा, जिसमें गत वर्ष के अनुमान और वास्तविक आंकड़े तथा आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमान दिए जाएंगे।

(2) इस प्रकार तैयार की गई वार्षिक विवरणी, महानगर आयुक्त द्वारा, अध्यक्ष का पूर्व अनुमोदन लेकर, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के समक्ष रखी जाएगी ।

(3) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इस प्रकार प्राप्त प्राक्कलन पर विचार करेगा और उसे बिना किसी संशोधन के, या ऐसे संशोधनों के साथ, जैसा कि वह उचित समझे, मंज़ूरी देगा।

(4) ऊपर उप-नियम (3) के अधीन स्वीकृत बजट की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

(5) राज्य सरकार, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को बजट में ऐसा संशोधन करने का निर्देश दे सकेगी, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(6) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ऐसे निर्देशों की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर या तो संशोधन को स्वीकार करेगा या राज्य सरकार को आगे प्रस्तुत करेगा।

(7) राज्य सरकार, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के निवेदन पर विचार करने के पश्चात, उस पर ऐसे आदेश पारित करेगी, जैसे कि समुचित समझे जाएं, और ऐसे आदेशों की तारीख से, बजट, सरकार द्वारा आदेशित संशोधनों के साथ प्रवृत्त समझा जाएगा।

44. **वार्षिक योजना और प्रतिवेदन का तैयार किया जाना.-**

(1) प्राधिकरण, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो महीने के भीतर, सरकार को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें वर्ष के दौरान महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की गतिविधियों का विवरणात्मक वर्णन होगा।

(2) प्रतिवेदन में निम्निलिखित विषयों के विवरण अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात्:-

(क) वर्ष के लिए कार्यक्रम योजना;
(ख) निष्पादन के अधीन योजनाएं;
(ग) अर्जित सम्पत्तियों का ब्यौरा;
(घ) भूमि के विकास से संबंधित परियोजनाएं;
(ड.) अधोसंरचना के विकास से संबंधित परियोजनाएं;
(च) यातायात और परिवहन परियोजनाएं;
(छ) सामाजिक वानिकी और जल निकाय संरक्षण;
(ज) योजना तैयार करना और योजना उन्मुख अध्ययन;
(झ) नवीन योजना बनाने के लिए यथोचित वित्तीय व्यवस्था करने के लिए उठाए गए कदम;
(ञ) अगले वर्ष के लिए योजनाओं का कार्यक्रम;
(ट) संपत्ति और देयताएं;
(ठ) कोई अन्य विषय, जिसे प्राधिकरण उचित समझे;
(ड) सामान्य टिप्पणी।

अध्याय - दस
उपयोक्ता प्रभार

45. **उपयोक्ता प्रभारों का उदग्रहण (लेवी).-**

(1) जब प्राधिकरण को ऐसा प्रतीत हो, कि उपयोगिताओं, सुख-सुविधाओं, सेवाओं या सुविधाओं से संबंधित कोई विशेष विकास परियोजना, उपयोक्ता प्रभार की राशि निर्धारित करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत है, तो प्राधिकरण इस निमित्त किए गए आदेश द्वारा यह घोषित कर सकेगा, कि अधिनियम की धारा **49** की उप-धारा **(1)** के अधीन उपयोक्ता प्रभार निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए, विकास परियोजना या योजना का निष्पादन पूरा हो गया समझा जाए और इसके पश्चात् किसी भी उपयोक्ता/भूमि के स्वामी या उसमें हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति पर वह उदग्रहण (लेवी) करेगा, कि प्राधिकरण इस प्रकार प्रदान की गई सुविधा के संबंध में उपयोक्ता प्रभार की राशि घोषित करता है।

(2) इस प्रकार प्राक्कलित तथा उदग्रहीत उपयोक्ता प्रभार अंतिम होगा:

परंतु, प्राधिकरण स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार द्वारा ऐसा अपेक्षित किए जाने पर, समग्र उपयोक्ता प्रभार अथवा उसके किसी भाग का पुनर्मूल्यांकन कर सकेगा ।

अध्याय - ग्यारह
विविध

46. **अपील.-**

(1) अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के अधीन अपील नगरीय विकास तथा आवास विभाग के भारसाधक सचिव को की जा सकेगी और उसमें अंतर्विष्ट होंगी,-

(क) उस आदेश की एक प्रति, जिसके विरुद्ध अपील दायर की जा रही है;

(ख) उन तथ्यों औरआधार का स्पष्ट कथन, जिन पर अपील की गई है;

(ग) प्रार्थित अनुतोष; और

(घ) प्रक्रिया शुल्क के रूप में 5000/- रुपये के शुल्क के भुगतान का सबूत।

(2) इस प्रकार की गई अपील का निपटारा आवेदक को सुनवाई का सम्यक अवसर देकर, 120 दिनों के भीतर किया जाएगा।

47. **पुनरीक्षण.-**

(1) अधिनियम की धारा 31 के अधीन प्रस्तुत पुनरीक्षण में अंतर्विष्ट होगा,-

(क) उस आदेश की एक प्रति, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण दायर किया जा रहा है;

(ख) उन तथ्यों और आधार का स्पष्ट कथन, जिन पर पुनरीक्षण किया गया है,; और

(ग) प्रार्थित अनुतोष ।

(2) इस नियम के अधीन पारित किया गया कोई आदेश अंतिम और बाध्यकारी होगा।

48. **कठिनाइयों का दूर किया जाना.-** यदि इन नियमों के उपबंधों को प्रवृत्त करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो सरकार, इस नियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों से जो असंगत न हो कोई ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जैसे कि निर्वचन तथा कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए, उसे आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हो।

प्ररूप- एक

(नियम 11(5) देखिए)

.... महानगर क्षेत्र की .... महानगर योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदाताओं की प्रारूप सूची

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि .... महानगर योजना समिति (महानगर क्षेत्र का नाम) के सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदाताओं की प्रारूप सूची मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास नियम, 2026 के नियम 11 के उप-नियम (5) के उपबंधों के अनुसार प्रकाशित की गई है।

अनुक्रमांक	मतदाता का नाम	पिता/पति का नाम	पुरुष/ महिला अन्य	से चुने गए	धारित पद	कार्यकाल *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

*स्थानीय प्राधिकरण में कार्यकाल की अवधि

यदि उक्त सूची के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या दावा हो, तो उसे लिखित में .... (अधिकारी, पदनाम) को .... पूर्वाह्न/अपराह्न से .... पूर्वाह्न/अपराह्न तक ....(कार्यालय का पता) पर सूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस की समाप्ति के पूर्व सम्यक विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

स्थान :

तारीख :

निर्वाचन प्राधिकारी

प्ररूप- दो

(नियम 14 देखिए)

महानगर योजना समिति के निर्वाचन की सूचना

क्रमांक.........................मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास नियम, 2026 के नियम 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं .... निर्वाचन प्राधिकारी (महानगर क्षेत्र) एतद्द्वारा यहां अनुसूची में विनिर्दिष्ट महानगर क्षेत्र .... की महानगर योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रदान करता हूँ,- अर्थात्:-

अनु-क्रमांक	**मतदान कार्यक्रम**	
1.	अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख	
2.	अभ्यर्थियों के नामांकन फाइल करने के लिए अंतिम तारीख	तारीख: समय: स्थान :
3.	नामांकन की जांच के लिए तारीख	तारीख: समय:
4.	अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए अंतिम तारीख	तारीख: समय:

		स्थान :
5.	मतदान की तारीख	तारीख: समय: स्थान :
6.	मतगणना की तारीख	तारीख: समय: स्थान :
7.	परिणाम घोषित किए जाने की तारीख	तारीख: स्थान :

निर्वाचन प्राधिकारी

स्थान :..........

तारीख:

.... महानगर क्षेत्र

प्ररूप- तीन

(नियम 15(2) देखिए)

नामांकन पत्र

महानगर योजना समिति का निर्वाचन

मैं,......................................(नाम), एतद्द्वारा यहां महानगर क्षेत्र............................ की ....महानगर योजना समिति के सदस्य के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में अपना नामांकन प्रस्तुत करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम ....

पिता/माता/पति का नाम................................

अभ्यर्थी का डाक का पता...

अभ्यर्थी का नाम उपर्युक्त महानगर क्षेत्र की मतदाता सूची के क्रम संख्या ....पर दर्ज है।

....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक:

(नाम ....)

मैं ....(नाम) अपने नामांकन को स्वीकृति देता हूँ तथा एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ:

(क) यह कि मेरा नाम और मेरे (पिता/माता/पति का नाम) ऊपर .... (भाषा का नाम) में समुचित ढंग से लिखा गया है।

(ख) यह कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, मैं महानगर योजना समिति में पद को भरने के लिए चुने जाने के योग्य हूँ।

स्थान : ......
दिनांक:

....
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(नाम ....)

(निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाए)

नामांकन पत्र की क्रम संख्या ....

यह नामांकन मुझे मेरे कार्यालय में .... (समय) पर .... (तारीख) को अभ्यर्थी द्वारा प्रदत्त किया गया

....
दिनांक:

निर्वाचन अधिकारी
(नाम ....)

प्ररूप- चार

(नियम 16(3) देखिए)

विधि मान्य नामांकित अभ्यर्थियों की सूची

महानगर क्षेत्र............... के लिए महानगर योजना समिति.................का निर्वाचन।

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/ माता/पति का नाम	निर्वाचित	धारित पद	अभ्यर्थी का पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

स्थान ....

....

दिनांक:

निर्वाचन अधिकारी
नाम ....
मुहर

प्ररूप- पांच

(नियम 17(3) देखिए)

निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की सूची

महानगर क्षेत्र............... के लिए महानगर योजना समिति................का निर्वाचन।

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/ माता/ पति का नाम	निर्वाचित	धारित पद	अभ्यर्थी का पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

स्थान

....

दिनांक:

....

निर्वाचन अधिकारी

नाम ....

मुहर

प्ररूप- छह

(नियम 18(10) देखिए)

मतपत्र लेखा

महानगर क्षेत्र.............. के लिए महानगर योजना समिति.............. का निर्वाचन।

	क्रम संख्या से	तक	कुल संख्या
1. पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्र	....		
2. अप्रयुक्त मतपत्र	....		
3. मतदान केंद्र पर उपयोग किए गए मतपत्र (1-2=3)	....		
4. मतदान केंद्र पर उपयोग किए गए, मतपत्र, किन्तु मत पेटी में नहीं डाले गए	....		
(क) प्रिंटिंग की गलती के कारण मत पत्र रद्द कर दिए गए	....		
(ख) रद्द मतपत्र			
(क+ख) कुल			
5. मत पेटी में पाए जाने वाले मत पत्र (3-4=5)	....		

स्थान : ....

दिनांक:

....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप- सात

(नियम 20 देखिए)

अंतिम परिणाम पत्रक

मैं, ... महानगर योजना समिति का निर्वाचन अधिकारी एतद्द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को निर्वाचित घोषित करता हूँ।

अनुक्रमांक	निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम (नगरपालिका)	निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम (पंचायत)
(1)	(2)	(3)

स्थान : ....

दिनांक:

....

निर्वाचन अधिकारी

नाम ....

प्ररूप- आठ

(नियम 29 देखिए)

महानगर विकास और निवेश योजना के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना

एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि .... (महानगर क्षेत्र का नाम) के लिए महानगर विकास तथा निवेश योजना का प्रारूप मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम, 2025 (क्रमांक 21 सन् 2025) की धारा 16 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु यहां उपलब्ध है,-

1.
2.
3.

(महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, संभागीय आयुक्त (आयुक्तों), जिला कलक्टर (कलक्टरों), नगर तथा ग्राम निवेश , नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण तथा संबंधित नगरीय स्थानीय प्राधिकरणों के कार्यालयों के नामों का उल्लेख करें, जहां ऐसी प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं)।

यदि इस योजना के प्रारूप के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उसे मध्यप्रदेश राजपत्र में सूचना प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिवस की समाप्ति के पूर्व, सम्यक विचार के लिए संबंधित महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को लिखित में भेजा जा सकेगा ।

स्थान :........

तारीख :

महानगर आयुक्त,

महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण

प्ररूप- नौ

(नियम 31 देखिए)

.... (महानगर क्षेत्र का नाम) के महानगर विकास तथा निवेश योजना के प्रारूप के प्रकाशन और समिति की सिफारिशों पर आपत्तियां/सुझाव संकलित करने के लिए प्ररूप

1. सुनवाई का स्थान ....

2. तारीखें जिन पर सुनवाई की गई..............................

अनुक्रमांक	आपत्ति संख्या	व्यक्ति का नाम और पता	सुझावों/ आपत्तियों का संक्षिप्त विवरण (ग्राम/खसरा/ क्षेत्र/ उपबंध की जानकारी सहित, जिसके संबंध में सुझाव/आपत्ति दी गई है)	महानगर आयुक्त की टिप्पणी	समिति की सिफारिशें	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

संयोजक और सदस्यों के नाम पदनाम और हस्ताक्षर

प्ररूप- दस

(नियम 31 देखिए)

सुनवाई के लिए समिति के समक्ष उपस्थित होने की सूचना

प्रति,

श्री/श्रीमती/सुश्री ....

पता ....

विषयः ....(महानगर क्षेत्र) के महानगर विकास तथा निवेश योजना के प्रारूप पर आपकी आपत्ति/सुझावों पर समिति के समक्ष सुनवाई।

संदर्भ:- क्रम संख्या...................पर पंजीकृत आपकी आपत्ति/सुझाव दिनांक............ ।

महोदय/महोदया,

यह ....(महानगर क्षेत्र का नाम) के महानगर विकास तथा निवेश योजना के प्रारूप पर आपकी आपत्ति के सन्दर्भ में है, जिसे .... महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित किया गया है। आपसे निवेदन है कि आप अधिनियम की धारा 16 के अधीन गठित समिति के समक्ष, नीचे दिए गए स्थान और समय पर, स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई के लिए उपस्थित रहें:-

स्थानः ....

तारीखः ....

समयः ....

आपकी आपत्तियों के समर्थन में कोई अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज़ उसी दिवस जमा किया जा सकेगा ।

समिति के संयोजक
नाम और पदनाम

प्ररूप- ग्यारह
(नियम 31(ठ) देखिए)

समिति के समक्ष ... ... (महानगर क्षेत्र का नाम) के महानगर विकास तथा निवेश योजना के प्रारूप पर सुनवाई के दौरान उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त जानकारी को सूचिबद्ध करने के लिए प्ररूप

अनुक्रमांक	आपत्ति संख्या	व्यक्ति का नाम और पता	सुनवाई की तारीख	अतिरिक्त जानकारी का विवरण	प्रस्तुत किए गए अतिरिक्त दस्तावेज़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

समिति के संयोजक के हस्ताक्षर
नाम और पदनाम

प्ररूप- बारह

(नियम 32 देखिए)

महानगर विकास तथा निवेश योजना की स्वीकृति के लिए सूचना

एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम, 2025 (क्रमांक 21 सन 2025) की धारा 17 की उप-धारा (1) के अधीन ... ... (महानगर क्षेत्र) के लिए महानगर विकास तथा निवेश योजना को मंजूरी दे दी है और उक्त योजना की एक प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण किया जा सकता है.-

1.
2.
3.

(संबंधित .... महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, संभागीय आयुक्त (आयुक्तों) , जिला कलक्टर (कलक्टरों), नगर तथा ग्राम निवेश , नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण और नगरीय स्थानीय प्राधिकरणों के कार्यालयों के नामों का उल्लेख करें ,जहां प्रतियां कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध कराई गई हैं)

उक्त महानगर विकास तथा निवेश योजना ... ... (प्राधिकरण की साइट का यूआरएल) पर उपलब्ध होगी।

उक्त महानगर विकास तथा निवेश योजना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

स्थान :
तारीख :

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं आवास विभाग।

प्ररूप- तेरह

(नियम 33(2) देखिए)

नियम 33 के उप-नियम (2) के अधीन महानगर विकास तथा निवेश योजना में संशोधन के लिए आवेदन पत्र

प्रति,
महानगर आयुक्त,
.... महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण।

मैं/हम, जो नीचे वर्णित भूमि के वैध स्वामी/सह-स्वामी हैं, नियम 33 के उप-नियम (2) के अधीन महानगर विकास तथा निवेश योजना में निम्नानुसार संशोधन हेतु आवेदन करता हूँ/करते हैं,-

1. **संशोधन के लिए आवेदित भूमि का विवरण:**
   (क) ज़िला: ....
   (ख) तहसील: ... ...
   (ग) ग्राम: ....
   (घ) खसरा संख्या और प्रत्येक खसरे का क्षेत्रफल: ....
   (ड.) कुल क्षेत्रफल, हेक्टेयर में: ....

2. **स्वामी(स्वामियों) का ब्यौरे:**
   (क) स्वामी (स्वामियों) का नाम: ....
   (ख) डाक का पता: ....
   (ग) मेल का पता: ....
   (घ) टेलीफ़ोन नम्बर: ....
   (ड.) मोबाइल नम्बर: ....

3. महानगर विकास तथा निवेश योजना : .... में वर्तमान उपबंध
4. वांछित संशोधन: ....

5. दस्तावेज (स्व -प्रमाणित) अनुलग्नक (दस्तावेज की सूची) के अनुसार साथ में संलग्न हैं।
6. मैं/हम, नियम 33 के उप-नियम (2) के खंड (सात) के अधीन प्रभारित उद्ग्रहण (लेवी) का भुगतान करने तथा अधिरोपित की जा सकने वाली सभी शर्तों का पालन करने का वचन देता हूँ /देते हैं।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार
तारीख: ....

स्वामी (स्वामियों) /प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:
....

पता:
....

अनुलग्नक

दस्तावेजों की सूची

(नियम 33 के उप-नियम (2) के अधीन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किए जाएँ)

1. भूमि के स्वामित्व का दस्तावेज़,-
   (क) खसरा पांचसाला P-दो प्ररूप (प्रमाणित);
   (ख) भू-उपयोग बदलने के लिए वर्तमान भूमि स्वामी की सहमति (यदि आवेदक स्वामी नहीं है);
   (ग) यदि परियोजना प्रस्तावक संस्था/संघ/संयुक्त उपक्रम में हैं, तो उसके लिए आवश्यक विधिक दस्तावेज संलग्न किए जाएँगे।
2. अधिसूचित महानगर विकास तथा निवेश योजना के अनुसार भूमि का उपयोग ।
3. भूमि का विवरण;
   (क) प्रश्नाधीन भूमि की सर्वेक्षण संख्या और भूमि की बाहरी सीमा से चारों तरफ़ 500 मीटर के भीतर आने वाली आस-पास की खसरा संख्या दर्शाने वाली खसरा मानचित्र (प्रश्नाधीन भूमि को लाल रंग से हाईलाइट किया जाना चाहिए);
   (ख) प्रश्नाधीन भूमि , मुख्य पहुँच मार्ग(विद्यमान और प्रस्तावित), महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों, जल निकाय और भूमि के आस-पास के विद्यमान उपयोग दर्शाने वाली अवस्थिति योजना;
   (ग) सर्वेक्षण योजना, 1:400 से 1:2000 के पैमाने (स्केल) पर;
   (घ) सर्वेक्षण योजना में प्रश्नाधीन भूमि की सीमा, नाले, तालाब, पेड़ और ढलान जैसी प्राकृतिक चीज़ें, 2 मीटर के अंतराल पर कंटूर योजना, विद्युत् लाइन और विद्युत/टेलीफोन के खंभों की स्थितिऔर ऐसी सभी दूसरी चीज़ें दर्शाई जाएंगी, जिन्हें समन्वित किए जाने की आवश्यकता हो सकती है ।
4. सामान्य परियोजना प्रतिवेदन: भूमि का स्वामित्व, अवस्थिति/स्थल योजना, विकास प्रस्ताव/अभिन्यास (शहरी नियोजन/ परिवहन नियोजन/पर्यावरण नियोजन), प्रस्तावित भवन के रेखाचित्र, अधोसंरचना के लिए योजना, जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, विद्युतीकरण, ड्रेनेज, अग्नि सुरक्षा, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, कचरा निपटान, उपचार सयंत्र (जल/मल/कचरा), वेस्टवॉटर की रीसाइक्लिंग।
5. प्रस्तावित विकास के पर्यावरणीय प्रभाव काअध्ययन और उसे कम करने के उपाय।
6. प्रतिवेदन में रोज़गार सृजन, जनता के लिए सुविधाओं की वृद्धि, क्षेत्र के पर्यावरण गुणवत्ता में वृद्धि और प्रस्तावित उपयोग के लाभार्थियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में प्रस्तावित विकास को दर्शाने वाली रिपोर्ट।
7. परियोजना लागत का अनुमान।
8. सड़क, जल आपूर्ति, सीवेज इत्यादि के मामले में बाह्य अधोसंरचना के उन्नयन की लागत। आवेदक को अधोसंरचना के उन्नयन और सुधार के लिए किए जाने वाले बाह्य विकास के संबंध में बताना होगा और उन मानकों और नियमों के संबंध में भी बताना होगा, जिन पर चुने हुए क्षेत्र में उसके विकास प्रस्ताव आधारित है, उदाहरणार्थ, सड़क निर्माण के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस मानक अपनाना इत्यादि ।
9. वित्तीय व्यवस्था और निवेश योजना और परियोजना पूरा होने के लिए समय सीमा।
10. क्रियान्वयन के चरण।
11. स्वामी का एक शपथ पत्र, जिसमें यह कथन हो, कि उसे अन्य सह -स्वामियों द्वारा संशोधन के लिए आवेदन करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया है और आवेदन की विषयवस्तु और प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ समुचित हैं।

तारीख: ....

स्वामी(स्वामियों) /प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के

हस्ताक्षर

नामः ....

पताः ....

प्ररूप- चौदह

(नियम 33(2)(ख) देखिए)

महानगर विकास तथा निवेश योजना में संशोधन पर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने की सूचना

नियम 33 के उप-नियम (2) के खंड (ख) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि ... ... महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण नीचे अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ... ...(स्थान का नाम) के लिए महानगर विकास तथा निवेश योजना के उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव करता है।

उक्त संशोधन के संबंध में कोई भी आपत्ति और सुझाव, किसी भी व्यक्ति द्वारा, महानगर आयुक्त, ... महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिवस की अवधि के भीतर लिखित में प्रस्तुत किए जा सकेंगे और ऐसी आपत्तियां या सुझाव, जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त हों, उन पर महानगर आयुक्त द्वारा विचार किया जाएगा।

अनुसूची

प्रस्तावित संशोधनों के ब्यौरे प्रदान करें।

महानगर आयुक्त,
महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण

प्ररूप-पन्द्रह

(नियम 35 देखिए)

क्षेत्र विकास योजना के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना

एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है, कि ... ... (महानगर क्षेत्र का नाम) में ... ... क्षेत्र विकास योजना का प्रारूप मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम, 2025 (क्रमांक 21 सन 2025) की धारा 23 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु यहां उपलब्ध है,-

1.
2.
3.

(महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण , संभागीय आयुक्त (आयुक्तों) , जिला कलक्टर (कलक्टरों), नगर तथा ग्राम निवेश, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण , नगरीय स्थानीय प्राधिकरण , ज़िला और जनपद पंचायत के उन कार्यालय के नामों का उल्लेख करें, जहां ऐसी प्रति उपलब्ध कराई गई हैं)।

यदि इस योजना के प्रारूप के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उसे मध्यप्रदेश राजपत्र में सूचना प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिवस की समाप्ति से पूर्व, सम्यक विचार के लिए, संबंधित महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को लिखित में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

स्थान :
तारीख :

महानगर आयुक्त,
महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण

प्ररूप-सोलह

(नियम 37 देखें)

क्षेत्र विकास योजना की स्वीकृति के लिए सूचना

एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है, कि ... ... महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास नियम, 2026 के नियम 37 के उप-नियम (1) के अधीन ... ... महानगर क्षेत्र में ... ... क्षेत्र विकास योजना को मंजूरी दे दी है और उक्त योजना की एक प्रति का निरीक्षण निम्नलिखित कार्यालयों में किया जा सकेगी :-

1.
2.
3.

(महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण , संभागीय आयुक्त (आयुक्तों) , जिला कलक्टर (कलक्टरों), नगर तथा ग्राम निवेश, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण , नगरीय स्थानीयप्राधिकरण , ज़िला और जनपद पंचायत के संबंधित कार्यालय के नामों का उल्लेख जहां कार्यालय समय में प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं)

उक्त क्षेत्र विकास योजना ... ... (प्राधिकरण की वेबसाईट का यूआरएल) पर उपलब्ध होगी।

उक्त क्षेत्र विकास योजना राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

स्थान :
तारीख :

महानगर आयुक्त,
महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण

प्ररूप-सत्रह

(नियम 38(2) देखिए)

नियम 38 के उप-नियम (2) के अधीन क्षेत्र विकास तथा निवेश योजना में संशोधन के लिए आवेदन पत्र

प्रति,
महानगर आयुक्त,
.... महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण।

मैं/हम, जो नीचे वर्णित भूमि के वैध स्वामी/सह-स्वामी हैं, नियम 38 के उप-नियम (2) के अधीन क्षेत्र विकास योजना में संशोधन हेतु निम्नानुसार आवेदन करता हूँ/करते हैं,-

1. **संशोधन के लिए आवेदित भूमि का विवरण:**
   (क) ज़िला: ....
   (ख) तहसील: ... ...
   (ग) ग्राम: ....
   (घ) खसरा संख्या और प्रत्येक खसरे का क्षेत्रफल: ....
   (ड.) कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में: ....

2. **स्वामी (स्वामियों) का ब्यौरे:**
   (क) स्वामी का नाम: ....
   (ख) डाक का पता: ....
   (ग) मेल का पता: ....
   टेलीफ़ोन नंबर : ....
   मोबाइल नंबर : ....

3. क्षेत्र विकास योजना : .... में वर्तमान उपबंध

4. वांछित संशोधन: ....

5. दस्तावेज (स्व -प्रमाणित) अनुलग्नक (दस्तावेजों की सूची) के यहां इसके साथ संलग्न गए हैं.........।

6. मैं/हम, नियम 38 के उप-नियम (2) के खंड (सात) के अधीन प्रभारित उद्ग्रहण (लेवी) का भुगतान करने तथा अधिरोपित की जा सकने वाली सभी शर्तों का पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

संलग्न: उपरोक्तानुसार
तारीख:

स्वामी (स्वामियों) के हस्ताक्षर
नाम: ....
पता: ....

अनुलग्नक

दस्तावेजों की सूची
(नियम 38 के उप-नियम (2) के अधीन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किए जाएँ)

1. भूमि के स्वामित्व का दस्तावेज़:-
   (क) खसरा पांचसाला पी- दो प्ररूप (प्रमाणित);
   (ख) भू-उपयोग बदलने के लिए वर्तमान भूमि स्वामी की सहमति (यदि आवेदक स्वामी नहीं है);
   (ग) यदि परियोजना प्रस्तावक संस्था/संघ/संयुक्त उपक्रम में हैं, तो उसके लिए आवश्यक विधिक दस्तावेज संलग्न किए जाएँगे।
2. अधिसूचित............ क्षेत्र विकास योजना के अनुसार भूमि का उपयोग ।
3. भूमि के विवरण,-
   (क) प्रश्नाधीन भूमि की सर्वेक्षण संख्या और भूमि की बाहरी सीमा से चारों तरफ़ 500 मीटर के भीतर आने वाली आस-पास की खसरा संख्या दर्शाने वाला खसरा मानचित्र (प्रश्नाधीन भूमि को लाल रंग से हाईलाइट किया जाना चाहिए);
   (ख) प्रश्नाधीन भूमि , मुख्य पहुँच मार्ग(विद्यमान और प्रस्तावित), महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों, जल निकाय और भूमि के आस-पास के विद्यमान उपयोग दर्शाने वाली अवस्थिति योजना;
   (ग) सर्वेक्षण योजना, 1:400 से 1:2000 के पैमाने (स्केल) पर;
   (घ) सर्वेक्षण योजना में प्रश्नाधीन भूमि की सीमा, नाले, तालाब, पेड़ और ढलान जैसी प्राकृतिक चीज़ें, 2 मीटर के अंतराल पर कंटूर योजना, विद्युत् लाइन और विद्युत/टेलीफोन के खंभों की स्थिति और ऐसी सभी दूसरी चीज़ें दर्शाई जाएंगी, जिन्हें समन्वित किए जाने की आवश्यकता हो सकती है ।
4. सामान्य परियोजना प्रतिवेदनः भूमि का स्वामित्व, अवस्थिति /स्थल योजना, विकास प्रस्ताव/अभिन्यास (शहरी नियोजन/परिवहन नियोजन/पर्यावरण नियोजन), प्रस्तावित भवन के रेखाचित्र, अधोसंरचना के लिए योजना, जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, विद्युतीकरण, ड्रेनेज, अग्नि सुरक्षा, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, कचरा निपटन, उपचार सयंत्र (जल /मल/कचरा), वेस्टवॉटर की रीसाइक्लिंग।
5. प्रस्तावित विकास के पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन और उसे कम करने के उपाय।
6. प्रतिवेदन में रोज़गार सृजन, जनता के लिए सुविधाओं की वृद्धि, क्षेत्र के पर्यावरण गुणवत्ता में वृद्धि और प्रस्तावित उपयोग के लाभार्थियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में प्रस्तावित विकास को दर्शाने वाली रिपोर्ट।
7. परियोजना लागत का अनुमान।
8. सड़क, जल आपूर्ति, सीवेज इत्यादि के मामले में बाह्य अधोसंरचना के उन्नयन की लागत। आवेदक को अधोसंरचना के उन्नयन और सुधार के लिए किए जाने वाले बाह्य विकास के संबंध में बताना होगा और उन मानकों और नियमों के संबंध में भी बताना होगा जिन पर चुने हुए क्षेत्र में उसके विकास प्रस्ताव आधारित हैं, उदाहरणार्थ, सड़क निर्माण के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस मानक अपनाना इत्यादि ।
9. वित्तीय व्यवस्था और निवेश योजना और परियोजना पूरा होने के लिए समय सीमा।
10. क्रियान्वयन के चरण।
11. स्वामी का एक शपथ पत्र, जिसमें यह कथन हो, कि उसे अन्य सह-स्वामियों द्वारा संशोधन के लिए आवेदन करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया है और आवेदन की अन्तर्वस्तु और प्रस्तुत किए गए दस्तावेज समुचित हैं।

तारीखः **स्वामी(स्वामियों) के हस्ताक्षर**

नामः ....

पताः ....

प्ररूप-अठारह

(नियम **38(2)**(ख) देखिए)

क्षेत्र विकास योजना में संशोधन पर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने की सूचना

नियम **38** के उप-नियम **(2)** के खंड **(ख)** के अधीन सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि ... ... महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नीचे अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ... ... (स्थान का नाम) के लिए ... ... क्षेत्र विकास योजना के उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव करता है।

उक्त संशोधन के संबंध में कोई भी आपत्ति और सुझाव, किसी भी व्यक्ति द्वारा, महानगर आयुक्त, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से **15** दिवस की अवधि के भीतर लिखित में प्रस्तुत किए जा सकेंगे और ऐसी आपत्तियां या सुझाव, जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त हों, उन पर महानगर आयुक्त द्वारा विचार किया जाएगा।

अनुसूची

प्रस्तावित संशोधनों के ब्यौरे प्रदान करें।

महानगर आयुक्त,
महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद शुक्ला, उपसचिव.

Bhopal, the 10th July 2026

UDH/3/0031/2026/18-5 :- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 58 of the Madhya Pradesh Mahanagar Kshetra Niyojan Evam Vikas Adhiniyam, 2025 (No. 21 of 2025), the State Government, hereby, makes the following rules, namely:-

RULES

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.-**

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Mahanagar Kshetra Niyojan Evam Vikas Niyam, 2026.

(2) They shall come into force from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.-**

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Mahanagar Kshetra Niyojan Evam Vikas Adhiniyam, 2025 (No. 21 of 2025);

(b) "Authority" means Metropolitan Region Development Authority constituted under section 8 of the Act;

(c) "Form" means Form appended to these rules;

(d) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(e) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(f) "Municipality" means a Municipal Corporation constituted under section 7 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) for a larger urban area or a Municipal Council constituted under section 5 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) for a smaller urban area or a Nagar Parishad, constituted under section 5 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);

(g) "Panchayat" means a Gram Panchayat, Janpad Panchayat or Zila Panchayat constituted under section 8 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994);

(h) "Section" means a section of the Act;

(i) "State" means the State of Madhya Pradesh.

(2) The words and expressions used but not defined in these rules, but defined in the Act, shall have the same meaning respectively, as assigned to them under the Act.

3. **Applicability of the rules.-** These rules shall be applicable to the Metropolitan Regions, declared under section 3.

CHAPTER - II

METROPOLITAN PLANNING COMMITTEE

4. **Constitution of the Metropolitan Planning Committee.-**

(1) The Government shall, constitute a Metropolitan Planning Committee for every metropolitan area, as mentioned in section 4 of the Act.

(2) The Committee, so constituted under sub-rule (1) above, shall consist of the following forty five members,-

(a) fifteen ex-officio members,-

(i) the Chief Minister of Madhya Pradesh, who shall be the Chairman;

(ii) the Minister of Urban Development and Housing Department, who shall be the Vice-Chairman;

(iii) the Minister of Panchayat and Rural Development Department, who shall be the Vice-Chairman;

(iv) the Minister of Revenue Department, who shall be the Vice-Chairman;

(v) Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh;

(vi) Secretary-in-charge, Urban Development and Housing Department;

(vii) Secretary-in-charge, Panchayat and Rural Development Department;

(viii) Secretary-in-charge, Transport Department;

(ix) Secretary-in-charge, Public Works Department;

(x) Secretary-in-charge, Environment Department;

(xi) Secretary-in-charge, Industrial Policy and Investment Promotion Department;

(xii) Secretary-in-charge, Tourism Department;

(xiii) Secretary-in-charge, Public Health Engineering Department;

(xiv) Commissioner-cum-Director, Town and Country Planning;

(xv) Metropolitan Commissioner - Member-Secretary;

(b) 30 members of the Committee shall be elected by and from amongst the elected members of the Municipalities and Chairpersons of the Panchayats in the Metropolitan region, in proportion to the ratio between the population of the Municipalities and of the Panchayats in that Metropolitan Area;

(c) **Special Invitees-** They shall be, as per the provisions of section 6 of the Act;

(d) **Co-opt members-** Following members shall be nominated by the State Government, namely:-

(i) Secretary-in-charge, Revenue Department;

(ii) Secretary-in-charge, Energy Department;

(iii) Commissioner, Urban Administration and Development;

(iv) Managing Director, Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited;

(v) Representative of Ministry of Railways, Ministry of Telecom and Ministry of Aviation, Government of India.

(vi) Commissioner(s) of Revenue Division(s), falling wholly or partially within Metropolitan Region;

(vii) Collector(s) of District(s), falling wholly or partially within Metropolitan Region;

(viii) Joint Director(s), Town and Country Planning, having jurisdiction wholly or partially within Metropolitan Region;

(ix) three non-officials member(s), who, in the opinion of the Government, have special knowledge and expertise in the matters relating to regional planning/ urban management/transportation/ infrastructure planning and development.

(3) The Government may, by notification, omit or substitute any member of the Metropolitan Planning Committee:

Provided that proportion of two-third elected members of the Committee, mentioned under proviso of sub-section (1) of section 5 of the Act, shall be maintained.

5. Term of office and filling of casual vacancies.-

(1) The term of office of the nominated members under sub-clause (ix) of clause (d) of sub-rule (2) of rule 4 shall be such, as may be specified by the State Government, while nominating them for the Metropolitan Planning Committee.

(2) The term of office of the elected members shall be co-terminus with their tenure in the respective local authority.

(3) Any nominated or elected member may resign his office, by writing under his hand, addressed to the State Government. The resignation shall be effective from the date of its acceptance by the Government.

(4) Any casual vacancy arising out of such resignation or for any other reason, such as death or disability of a member, shall be filled as early as possible, by nomination or election, as the case may be:

Provided that the member so nominated or elected shall hold office for the remainder of the term, for which the member, in whose place he is nominated or elected, would have held office.

6. Removal of members.- The State Government may remove any member from office of the Metropolitan Planning Committee,-

(a) if he has any pecuniary interest in the schemes or works included in the plans or schemes prepared by the Municipalities or Panchayats or Town and Country Development Authority or Metropolitan Region Development Authority in the Metropolitan Area; or

(b) if he is convicted for an offence involving moral turpitude punishable under the provisions of any law for the time being in force; or

(c) if he, upon the trial of election petition, is found guilty of corrupt practices; or

(d) if he is of unsound mind and stands so declared by competent Court; or

(e) if he is declared insolvent or bankrupt by competent Court and has not been discharged therefrom.

7. Meetings of the Committee.-

(1) The Committee shall meet, as and when necessary and preferably once in every six month and at such times and places, as the Chairperson may determine in this behalf and shall observe the procedure to the transaction of its business at such meetings.

(2) If Chairman of the Committee, for any reason is unable to act, any Vice-Chairman, as nominated by the Chairman shall act as Chairman for that meeting.

(3) The Committee may invite experts to attend its meetings.

(4) The non-official member experts shall be eligible to receive an allowance of Rupees Ten Thousand per meeting and travelling allowances, as prescribed for rank of Secretary to the State Government, for attending the meetings.

8. Quorum.- The quorum necessary for the transaction of business at a meeting, shall be one-third of the total number of members:

Provided that if quorum is not met, the Chairman shall adjourn the meeting to re-assemble on such day and time, as he may think fit.

9. Member-Secretary of the Committee and his functions.- The Member-Secretary to the Committee, shall be responsible for maintaining the records of the Committee, preparing the records of discussions and communication of decisions and all other incidental and ancillary matters.

10. Office of the Metropolitan Planning Committee.- The Metropolitan Region Development Authority shall provide Secretarial Assistance to the Committee. The Metropolitan Region Development Authority may appoint, such number of other officers and employees, including experts for technical work, as may be necessary for efficient performance of its functions and duties.

CHAPTER - III

ELECTION OF METROPOLITAN PLANNING COMMITTEE

11. Elected members and voters' list.-

(1) The Metropolitan Commissioner shall determine number of members to be elected in proportion to the population of Municipalities and Panchayats in Metropolitan Region, as mentioned in clause (b) of sub-rule (2) of rule 4.

(2) For conduct of election of members, the State Government shall, by notification, appoint any Divisional Commissioner falling within the Metropolitan Region, as the Election Authority.

(3) The Election Authority shall prepare a list of voters for each Municipality and Panchayat. The Election Authority shall obtain the list of elected members of each Municipality and Chairpersons of the Panchayats, falling within the metropolitan region, from respective District Collector.

(4) The Election Authority shall appoint a Registration Officer and such Assistant Registration Officers, as may be found necessary, to assist the Registration Officer in the preparation of the list of voters.

(5) Election Authority shall publish the draft list of voters, as prescribed in Form-I, on the notice board of respective offices of the District Collector, Zila Panchayats and Municipalities, falling within Metropolitan Region and shall specify, that any objection or claim regarding the said list may be lodged within 15 days, with the designated officer for due consideration. No claim or objection thereafter shall be entertained.

(6) The Registration Officer shall, after holding summary inquiry into the claims or objections, record his decision in writing. The decision of the Registration Officer shall be final to amend the voters' list in accordance with his decision.

(7) The voters' list so amended, shall be final and a copy thereof duly authenticated by the Registration Officer, shall be kept in his office and to be pasted in notice board and another copy shall be deposited in the office of Metropolitan Commissioner.

(8) The voters' list referred to in sub-rule (7) above shall remain in force until revised for further election.

12. Appointment of Returning Officer and Assistant Returning Officer.-

(1) For the purpose of conduct of election of the members of the Committee, the Election Authority shall appoint an officer, not below the rank of Additional Collector, to be the Returning Officer.

(2) The election authority shall appoint one or more officer, not below the rank of Deputy Collector, to be Assistant Returning Officer.

(3) Every Assistant Returning Officer shall, subject to such control and restrictions, as may be imposed by the Returning Officer, be competent to perform all or any of the functions of the Returning Officer.

(4) The Returning Officer and Assistant Returning Officer shall work under the general direction and superintendence of the Election Authority.

(5) It shall be the duty of the Returning Officer, at an election, to do all such acts and things, as may be necessary for effectively conducting the elections, in the manner provided under these rules.

13. Appointment of Presiding and Polling Officers.-

(1) The Returning Officer shall appoint an officer or employee of the Government as a Presiding Officer for polling station and such number of Polling Officers, as may be deemed necessary to assist the Presiding Officer.

(2) It shall be the duty of the Presiding Officer, at polling station, to keep order thereat and take all action necessary to see that the poll is freely and fairly conducted.

(3) It shall be the duty of the Polling Officer, at polling station to assist the Presiding Officer at polling station, in the performance of his functions for conducting free and fair election.

14. Notice of election and time schedule therefore.-

(1) The Election Authority shall issue a notice of election time schedule, as prescribed in Form-II and specify the following,-

(a) the last date, time and place for filing nominations of candidate for election, which shall be the seven official working days, after the date of publication of the notice;

(b) within three official working days from last date of filing nominations of candidate, for the scrutiny of nominations;

(c) the last date for withdrawal of candidature shall be within two official working days from last date for the scrutiny of nominations;

(d) the date, on which and the time, during which the poll shall, if necessary, be taken;

(e) the date, time and place for the counting of votes; and

(f) the date of declaration of result of elected members.

(2) Notice in Form-II, shall be published forty-five days prior to the declaration of result of elected members, by affixing a copy of such notice on the notice board in the office of the Returning Officer and the Metropolitan Commissioner.

15. Nomination of candidates.-

(1) Any person may be nominated as a candidate for election to fill a seat, if he is qualified to be elected to fill that seat, as mentioned under clause (b) of sub-rule (2) of rule 4 of these rules.

(2) Every nomination paper presented shall be, as prescribed in Form-III.

(3) Each candidate shall, in person, submit his nomination paper to the Returning Officer, during the time and at the place, as specified in the notice issued under rule 14 above and a duly completed nomination paper, as prescribed in Form-III and signed by the candidate.

16. Scrutiny of nomination papers.-

(1) The Returning Officer shall scrutinize nomination papers, so received under rule 15 above, within the time specified in notice under rule 14. If he deems necessary, he may reject any nomination paper, if the candidate fails to comply with any of the provisions of rule 15 above.

(2) The Returning Officer shall endorse on each nomination paper his decision regarding accepting or rejecting the same and if the nomination paper is rejected, he shall record, in writing, a brief statement of reasons for such rejection. The order passed by the Returning Officer shall be final.

(3) Immediately after all the nomination papers have been scrutinised and decision regarding acceptance or rejection of the same have been recorded, the Returning Officer shall prepare a list of valid nominated candidates as prescribed in Form-IV and affix it on the notice board in his office, duly recording the date and time of such affixture, under his signatures.

17. Preparation of final list of contesting candidates.-

(1) Any candidate may withdraw his candidature by delivering application to the Returning Officer within the time, as mentioned in issued Form-II for these purposes.

(2) Immediately after the expiry of the period, within which candidature may be withdrawn under sub-rule (1) above, the Returning Officer shall prepare a final list of contesting candidates, in alphabetical order of their first name, that is to say, candidates, whose nomination papers have been finally accepted and who have not withdrawn their candidature, within the said period.

(3) Returning Officer shall, immediately after its preparation, cause a copy of the list of contesting candidates, as prescribed in Form-V, to be affixed on the notice board in his office and shall also supply a copy thereof, to each contesting candidate.

(4) Poll shall not be countermanded due to death of a contesting candidate.

18. Poll and voting for election.-

(1) At every election where a poll is taken, votes shall be given by ballot in the manner hereinafter provided and no votes shall be received by proxy.

(2) Every ballot box shall be of such design that the ballot papers may be inserted therein, but cannot be withdrawn without the box being unlocked and the seal being broken.

(3) The ballot paper shall contain the names of the candidates, arranged in the same order, in which they appear in the final list of contesting candidates.

(4) The Presiding Officer shall regulate the number of voters to be admitted at any one time inside the polling station.

(5) The Presiding Officer at polling station shall, immediately before the commencement of the poll, allow inspection of each ballot box, to be

used at the poll, by the candidates, who may be present at polling station and demonstrate to them and to all other persons present, that it is empty.

(6) The Presiding Officer may employ at the polling station, such persons, as he thinks fit, to help in the identification of the voters or to assist otherwise in taking a poll.

(7) A voter, on receiving the ballot paper, shall forthwith proceed to the voting compartment, there make a mark on the ballot paper with the instrument supplied for the purpose, at the space specified along the name of the candidates (subject to maximum of 30 candidates), for whom he intends to vote,. then fold the ballot paper so as to conceal his vote and insert the folded ballot paper into the ballot box and quit the polling station.

(8) The poll must be closed at the hour fixed for the purpose. However, all electors present at the pooling station at the hour appointed for the close of poll must be permitted to cast their vote, even if the poll has to be continued for some time beyond the appointed closing hour. For this, the Presiding Officer must distribute pre-numbered slips to all electors standing in queue, starting from last person in the queue, in the prescribed time, at the end of polling.

(9) As soon as practicable, after the closing of poll, the Presiding Officer shall, in the presence of candidates, seal the ballot box.

(10) The Presiding Officer shall, at the close of the poll, prepare a ballot paper account, as prescribed in Form-VI and enclose it in a separate cover, with the words "Ballot Paper Account". The Presiding Officer shall, then make into separate packets, the marked copy of voters' list, the ballot papers not issued to the voters, the cancelled ballot paper and any other papers directed by the Election Authority.

(11) The Presiding Officer shall, then deliver ballot boxes, packets etc. to the Returning Officer, at such place, as the Returning Officer or such other officer authorised by him in this behalf, may direct.

19. Counting of votes.-

(1) At election, where a poll is taken, votes shall be counted under the supervision and direction, either of the Returning Officer or Assistant Returning Officer and each contesting candidate shall have a right to be present at the time of counting.

(2) Any person, who during the counting of votes misconducts himself or fails to obey the lawful directions of the Returning Officer or such other officers authorised by him in this behalf, may be removed from the place, where the votes are being counted, by the Returning Officer.

(3) The Returning Officer or such other officers authorised by him, may have the ballot boxes used at the polling station, opened and their contents counted simultaneously.

(4) A ballot paper contained in a ballot box shall be rejected, if it bears any mark or writing, by which the voter may be identified or it is a spurious ballot paper or it has been so damaged or mutilated, that its identity as a genuine ballot paper cannot be established or it bears a serial number or if the ballot paper contains marks on more than 30 candidates or different from the serial numbers of ballot paper authorised for use or it has not been marked, by an equipment and in the manner other than the equipment prescribed for that purpose.

(5) Every ballot paper, which is not rejected under sub-rule (4) above, shall be counted.

(6) The Returning Officer shall, as far as practicable, proceed continuously with the counting of votes and shall, during any interval when the counting has to be suspended, keep the ballot papers,

packets and other papers relating to the election, sealed with his own seal.

(7) The Returning Officer shall prepare a list of candidates, in accordance with the descending order of votes received by the candidate.

(8) Two separate lists, one for candidates elected from Municipalities and other elected from Panchayats, shall be prepared from among the list in sub-rule (7) above, in accordance with descending order of votes received by the candidate, to fill the seats mentioned in sub-rule (1) of rule 11:

Provided that, if two or more candidates contesting for the last seat, secure an equal number of votes, the Returning Officer may determine the result by drawing lots and declare one of them elected.

20. Declaration of Result.- When the counting of votes has been completed, the Returning Officer shall then, declare the result of the candidates elected, as prescribed in Form-VII and shall send signed copies thereof, immediately to the Election Authority.

21. Publication of names of elected members of the Committee.-

(1) The Election Authority shall publish the names of all elected members of the Metropolitan Planning Committee by preparing a list of such names together with their permanent addresses to be pasted on the notice board or at any prominent place in his office and in office of Metropolitan Commissioner.

(2) The Election Authority shall send an entire list of elected members to the State Government, for further necessary action.

CHAPTER - IV

METROPOLITAN REGION DEVELOPMENT AUTHORITY

22. Staff of Metropolitan Region Development Authority.-

(1) The State Government shall appoint a Metropolitan Commissioner and shall, by order, determine from time to time, tenure and other terms and conditions of service of the Metropolitan Commissioner.

(2) The State Government shall appoint officers as Member- Planning, Member- Engineering, Member- Environment, Member- Estates, Secretary and Member-Finance and may determine the conditions of appointment and service, job chart, duties and responsibilities, powers and functions.

(3) The State Government shall, by notification, sanction creation of posts of officers and staff sub-ordinate to the Authority, as it thinks necessary, along with the conditions of appointment and service, salaries and allowances and the powers and duties of such officers and staff.

23. Term of office of members.-

(1) The term of office of the non-official members nominated by the State Government under section 8 and 10 of the Act, shall be such, as may be specified by the State Government while nominating them. The member(s) may be removed from such office by the State Government, at any time, before completion of the term, without assigning any reason thereof.

(2) The nominated non-official members of the Authority or Executive Committee, in performing any other functions as a member, shall be eligible to receive an allowance of Rupees Ten Thousand per meeting and travelling allowances, as prescribed for the rank of Secretary to the State Government.

(3) A person nominated as a member of the Authority or Executive Committee, by virtue of holding any office or being a member of the State Legislative Assembly or any Local Authority or Committee or body, shall cease to be a member of the Authority or Executive

Committee, as soon as he ceases to hold that office or to be such member, as the case may be.

(4) The member(s) of the Authority or Executive Committee, other than ex-officio member, may, at anytime, by writing under his hand addressed to the Chairman, resign his/her office. The resignation shall be effective from the date of its acceptance by the Chairman.

(5) Any casual vacancy arising out of such resignation or for any other reason, such as death or disability of a member, shall be filled as early as possible, by nomination, however, such casual vacancy shall have no effect on the quorum:

Provided that the member so nominated shall hold office for the remainder of the term, for which the member, in whose place he is nominated, would have held office.

24. Conduct of business of Metropolitan Region Development Authority.-

(1) The Metropolitan Region Development Authority shall meet and from time to time, make such arrangements with respect to the day, time, notice, management and adjournment of its meetings, as it thinks fit, subject to the following provisions, namely:-

(a) an ordinary meeting shall be held at least once in every six months;

(b) the Chairman may, whenever he thinks fit, call special meeting;

(c) the Chairman shall preside at the meetings of the Authority. In the absence of the Chairman, any Vice-Chairman of the Authority, as nominated by Chairman, shall preside over such meeting;

(d) all questions at any meeting, shall be decided by a majority of the members present;

(e) the minutes of the proceedings of each meeting shall be recorded in a book to be provided for the purpose.

(2) The quorum necessary for the transaction of business at a meeting, shall be one-third of the total number of members:

Provided that if quorum is not met, the Chairman shall adjourn the meeting to such day and time, as he may think fit.

(3) The Authority may, from time to time, create Functional Committee(s) such as Tender Committee, Technical Scrutiny Committee, Land and Property Disposal Committee etc., consisting of such number of persons, for the purpose of discharging such duties or performing such functions, as it may think fit.

(4) The Metropolitan Region Development Authority may nominate a member of Functional Committee(s) to be the president of the Functional Committee(s).

(5) All proceedings of such Functional Committee(s) shall be placed before the Authority.

(6) A member of the Authority, who has acquired or acquires, directly or indirectly, any share or pecuniary or other interest in any contract, loan arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into, by or on behalf of the Authority, shall cease to be a member of the Authority:

Provided that a member shall not be deemed to have any such share or interest, by reason only of his being a shareholder of a public limited company concerned, in any such contract, loan, arrangement or proposal or that he himself or any of his relative is employed by or on behalf of the Authority or he has such share or interest in his capacity as a member of the Authority or his property or any property, in which he has a share or interest, is or is being acquired or taken on lease by or on behalf of the Authority by agreement or according to any law for the time being in force.

(7) If any question arises, whether a member of the Authority has become disqualified, subject to the disqualification mentioned in sub-section (6) above, the question shall be referred for decision of the State Government and its decision thereon shall be final.

25. Powers and duties of the Chairman.- The Chairman of the Authority shall supervise and have control over all activities of the Authority and shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be determined by the Authority, from time to time:

Provided that the Chairman may delegate any of the powers and duties conferred upon him to Vice-Chairman(s).

26. Powers and duties of Metropolitan Commissioner.-

(1) The Metropolitan Commissioner shall be the Chief Executive Officer of the Authority and shall exercise such powers and perform such functions and duties, as the Authority may confer, by a resolution in this behalf.

(2) The Metropolitan Commissioner shall supervise and control all its officers and officials, including any officer(s) appointed by the State Government, from time to time.

(3) The Metropolitan Commissioner shall be responsible for collection of all sums due to the Authority and payment of all sums payable by the Authority. He shall ensure adequate security of all assets, including cash balances of the Authority. He shall also be responsible for performing all executive functions in connection with the works of the Authority.

(4) The Metropolitan Commissioner may delegate his powers to his sub-ordinate officers, except for those, which have been conferred exclusively to him by the Authority.

27. Powers and Functions of the Executive Committee.-

(1) Subject to the directives issued by the Metropolitan Region Development Authority, the Executive Committee shall exercise following powers and perform following duties, namely:-

(a) appointment of the staff;

(b) planning and implementation of the projects of the Metropolitan Region Development Authority, including approval or rejection of such projects;

(c) investment of surplus money of the Metropolitan Development Fund;

(d) institution, conduct and withdrawal of any legal proceedings on behalf of the Metropolitan Region Development Authority;

(e) the powers (except the power to make regulations) delegated or the functions or duties imposed, from time to time, on the Executive Committee by the Metropolitan Region Development Authority.

(2) The Executive Committee may, from time to time, by a resolution passed in this behalf, direct that any power and any function or duty, which is conferred on it, by or under sub-rule (1) above, shall be exercised or performed by the Metropolitan Commissioner.

28. Meetings of Executive Committee.-

(1) The Executive Committee shall meet at such place and at such time, as may be determined by its Chairman and shall observe such procedure as it may determine.

(2) There shall be no quorum required for meetings of the Executive Committee.

CHAPTER - V

METROPOLITAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT PLAN

29. Manner of publication of draft Metropolitan Development and Investment plan.- The draft Metropolitan Development and Investment plan, under sub-section (1) of section 16 of the Act, shall be published together with a notice, as prescribed in Form-VIII, inviting objections and suggestions on the said draft plan, within a period of thirty days from the date of publication of such notice in,-

(a) the Madhya Pradesh Gazette; and

(b) at least two newspapers, of which, one shall be in Hindi, having wide circulation in the region concerned, stating that the draft Metropolitan Development and Investment plan has been prepared under section 15 of the Act and is available for inspection of general public at the offices of the concerned Metropolitan Region Development Authority, Divisional Commissioner(s), District Collector(s), Town and Country Planning, Town and Country Development Authority and Urban Local Authorities concerned, during office hours.

30. Appointment of Committee constituted under sub-section (2) of section 16 of the Act.-

(1) The Metropolitan Region Development Authority shall, for hearing and considering any representation, objections and suggestions on the draft Metropolitan Development and Investment plan, appoint a Committee consisting of following members, namely:-

(a)	Representative of Town and Country Planning, not below the rank of Senior Town Planner	-	Member;
(b)	Member- Engineering	-	Member;
(c)	Member- Environment	-	Member;
(d)	Member-Finance	-	Member;
(e)	Member- Planning	-	Convener.

(2) The required quorum for meeting shall be of at least three members.

31. Functions of Committee constituted under sub-section (2) of section 16 of the Act.- The manner of recording objections received, conducting the meetings of the Committee and obtaining its recommendations regarding modifications or alterations in the draft plan, shall be as follows,-

(a) the Convener of the Committee shall compile all representation, objections and suggestions, which were received within 30 days of the publication of the draft plan in the format, as prescribed in Form-IX. Such objections and/or suggestions, which are identical or similar in nature shall, as far as possible, be recorded in one group;

(b) the Convener shall record the names of the persons, who had submitted their representation, objections and/or suggestions, within 30 days of the publication of the draft plan, as prescribed in Form-IX and shall also prepare a brief description of the representation, objections and/or suggestions submitted;

(c) the record prepared in Form-IX mentioned above, shall be compiled within thirty days, from the expiry of 30 days of publication of the draft;

(d) the Convener shall present the brief of the published draft plan and also of the representations, objections and suggestions received and recorded. He shall indicate location of representation, suggestions and objections on draft Metropolitan Development and Investment plan map;

(e) a soft copy of objections and suggestions, compiled as above, may be provided to a member, who so desires;

(f) the Convener shall fix the date(s) of meetings required for completing the hearing of all the representation, objections and suggestions, in such a manner, that the hearing is completed within 120 days from the date of publication of the draft plan;

(g) a member of the Committee shall not be allowed to nominate a representative to attend the meeting on his behalf. No person other than the member, shall be allowed to attend the proceedings of the meeting. However, the Convener may permit such other officials to remain present, as he considers necessary to assist him;

(h) every person, whose name has been included in the records prepared in Form-IX, shall be issued a notice for hearing, as prescribed in Form-X by the Convener, at least 7 days prior to the date fixed for such hearing;

(i) the number of persons, who are issued notice under clause (h) above, shall be determined in a manner that allows the proceedings to be conducted in a smooth and orderly manner;

(j) the proceedings of the Committee shall commence on the time fixed for its meeting. The persons, who were issued notices for appearing before the Committee, may be called separately or in groups, as may be decided by the Convener;

(k) any person, who appears before the Committee, for hearing, shall be required to sign the attendance register and if he refuses to do so, the Convener shall make a record of such refusal in the register. Such person may appear himself or through his representative, duly authorized in writing;

(l) the Convener shall prepare a brief description of any new issue that may be raised during the hearing. The documents, if any, produced during the hearing, shall also be recorded. This record shall be prepared, as prescribed in Form-XI;

(m) after the Committee has provided the opportunity of hearing to all the persons, the Convener shall fix further dates of the meetings, in which the Committee shall prepare its recommendations on the objections and suggestions received or/and heard;

(n) the Committee shall finalize its recommendations, within a period of thirty days from the date of last meeting;

(o) the Committee, in addition to making recommendations on the representation, objections and suggestions received, may also make its own suggestions for modifications or alterations with respect to the draft Metropolitan Development and Investment plan. Only such suggestions shall be recorded, as may have been approved by the majority of the members present;

(p) the Convener shall submit the recommendations of the Committee, along with his report duly signed, in three sets, along with the soft copies of the maps indicating locations of representation, objections and/or suggestions, to the Metropolitan Commissioner, so as to reach him within 180 days of the date of publication of the draft plan; and

(q) the proceedings of the meeting of the Committee may be video-graphed, if so decided by the Convener.

32. Manner of publication of approved Metropolitan Development and Investment plan.- A public notice, under sub-section (2) of section 17 in Form-XII, shall be published in,-

(a) the Madhya Pradesh Gazette; and

(b) at least two newspapers, of which one shall be in Hindi, having wide circulation in the area of the plan, informing that the Metropolitan Development and Investment plan has been approved by the State Government and the same shall be available for inspection of general public at the offices of concerned Metropolitan Region Development Authority, Divisional Commissioner(s), District Collector(s), Town and Country Planning, Town and Country Development Authority and Urban Local Authorities, concerned during office hours.

33. Modification in Metropolitan Development and Investment plan.-

(1) The State Government may, on its own motion or on the request of the Committee or Metropolitan Region Development Authority, make modification in the Metropolitan Development and Investment plan, for any proposed project of the Union or the State Government and it's enterprises or for any proposed project related to development of the State or for implementing a Scheme of Authority and the modification so made in the Metropolitan Development and Investment plan, shall be an integral part of the revised plan.

(2) Where any person, desires to apply for modification in Metropolitan Development and Investment plan, he shall make an application to the Metropolitan Commissioner, as prescribed in Form-XIII. Such application shall be accompanied with documents, as mentioned in Form-XIII and an application fee of Rs. 25000/- per hectare or part thereof,-

(a) if such proposal of modification is considered by the Metropolitan Commissioner to be beneficial to the society, he may proceed to make such modification in the Metropolitan Development and Investment plan, as may be deemed necessary. However, no such application shall be considered, where the land in question is not contiguous or less than 40 Hectares;

(b) the Metropolitan Commissioner, after considering the application, may publish a public notice as prescribed in Form-XIV. Such notice shall be published in at least one Hindi and English newspaper each, which have wide circulation in the concerned region. The details of the proposed modifications shall be made available for inspection of general public in the offices of concerned Metropolitan Region Development Authority, Divisional Commissioner(s), District Collector(s), Town and Country Planning, Town and Country Development

Authority and Urban Local Authorities concerned, during office hours;

(c) the Metropolitan Commissioner shall provide reasonable opportunity of hearing to the person, who may have submitted his objections or suggestions, with regard to the proposed modification within the stipulated time;

(d) the Metropolitan Commissioner, after considering the objections/suggestions shall send his opinion to the State Government along with document(s) for modification;

(e) the State Government may, after considering the objections/suggestions and also opinion of the Metropolitan Commissioner, modify the plan in such a manner, as it may deem appropriate. The modification so made, shall become an integral part of the Metropolitan Development and Investment plan;

(f) the State Government may impose such conditions, as it may consider appropriate, while modifying the plan under clause (e) above;

(g) the applicant shall have to pay a levy amounting to 15% of prevailing collector guideline rates, for irrigated agriculture land of the area.

CHAPTER - VI

UNIFIED METROPOLITAN TRANSPORT AUTHORITY

34. Constitution of Unified Metropolitan Transport Authority.-

(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, constitute Unified Metropolitan Transport Authority, for the

Metropolitan Region, under sub-section (1) of section 19 of the Act, with the following members,-

(a)	Chief Secretary	-	Chairman;
(b)	Secretary in-charge to the department of Urban Development and Housing, Transport, Public Works	-	Member;
(c)	Commissioner, Municipal Corporation(s)	-	Member;
(d)	Director, Directorate of Town and Country Planning	-	Member;
(e)	Managing Director, Madhya Pradesh Road Transport Corporation (MPRTC)	-	Member;
(f)	Managing Director, Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited (MPMRCL)	-	Member;
(g)	Commissioner(s) of Police	-	Member;
(h)	Member-Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board	-	Member;
(i)	General Manager, respective Railway zones	-	Member;
(j)	two experts in the field of urban transportation (to be nominated by the Government)	-	Members;
(k)	Metropolitan Commissioner	-	Member Convener;

(l) any other person(s), not exceeding two, nominated by the Government;

(m) Special invitee(s),-

(i) a representative of the National Highways Authority of India;

(ii) a representative of the Airports Authority of India.

(2) The provisions of rule 23 shall *mutatis mutandis* be applicable here for the term of office of the nominated members.

CHAPTER - VII

CONTROL OF DEVELOPMENT AND USE OF LAND

35. Manner of publication of draft Area Development plan.- The draft Area Development plan under sub-section (1) of section 23, shall be published together with a notice in Form-XV, inviting objections and suggestions on the said draft plan, within a period of thirty days from the date of publication of such notice in,-

(a) the Madhya Pradesh Gazette; and

(b) at least two Hindi newspapers, having wider circulation in the area concerned, stating that the draft Area Development plan has been prepared under section 23 and is available for inspection of general public, at the offices of the concerned Metropolitan Region Development Authority, Divisional Commissioner(s), District Collector(s), Town and Country Planning, Town and Country Development Authority and Urban Local Authorities concerned, during office hours.

36. Opportunity of hearing.- The Metropolitan Commissioner or an officer so authorized by him, shall consider all the objections and suggestions received within the period specified and shall give reasonable opportunity of hearing to all the persons interested. Thereafter, the Area Development plan shall be prepared, with such modifications, as he may consider necessary and submitted to the Metropolitan Region Development Authority for approval.

37. Approval and adoption of Area Development plan.-

(1) On receipt of Area Development plan from the Metropolitan Commissioner, the Metropolitan Region Development Authority may, in next upcoming meeting, approve or reject the Area Development plan, as it may deem fit and if it approves, notify the same, as prescribed in Form-XVI, in the Official Gazette.

(2) The Area Development plan so notified, shall come into force from the date of notifying.

(3) In case of rejection, the Authority may, require the Metropolitan Commissioner to prepare a fresh draft Area Development plan.

38. Modification in Area Development plan.-

(1) The Metropolitan Region Development Authority may, on its own motion or if so required by the State Government, make modification in the Area Development plan for any proposed project of the Union or the State Government and it's enterprises or for any proposed project related to development of the State and the modification so made in the Area Development plan, shall be an integral part of the revised plan.

(2) Where any person desires to apply for modification in Area Development plan, he shall make an application to the Metropolitan Commissioner, as prescribed in Form-XVII. Such application shall be accompanied with the documents mentioned in Form-XVII and an application fee of Rs. 10,000/- per hectare or part thereof,-

(a) if such proposal of modification is considered by the Metropolitan Commissioner to be beneficial to the society, he may proceed to make such modification in the Area Development plan, as may be deemed necessary;

(b) the Metropolitan Commissioner, after considering the application, may publish a public notice, as prescribed in Form-XVIII. Such notice shall be published in at least one Hindi and

English newspaper each, which have wide circulation in the concerned region. The details of the proposed modifications shall be made available for inspection of general public in the offices of concerned Metropolitan Region Development Authority, Divisional Commissioner(s), District Collector(s), Town and Country Planning, Town and Country Development Authority and Urban Local Authorities concerned, during office hours;

(c) the Metropolitan Commissioner or an officer so authorized by him, shall provide reasonable opportunity of hearing to the person, who may have submitted his objections or suggestions, with regard to the proposed modification within the stipulated time;

(d) the Metropolitan Commissioner, after considering the objections/suggestions shall send his opinion to Metropolitan Region Development Authority along with documents for modification;

(e) the Metropolitan Region Development Authority may, in next upcoming meeting, after considering the objections/suggestions and also opinion of the Metropolitan Commissioner, modify the plan in such a manner, as it may deem appropriate. The modification so made, shall become an integral part of the Area Development plan;

(f) the Metropolitan Region Development Authority may impose such conditions, as it may consider appropriate, while modifying the plan under clause (e) above

(g) the applicant shall have to pay a levy amounting to 15% of prevailing collector guideline rates for irrigated agriculture land of the area.

39. Town Development Scheme.-

(1) The Metropolitan Region Development Authority may undertake to develop a Town Development Scheme within its jurisdiction on it's own or authorize any other body to undertake such Town Development Scheme. Such Town Development Scheme shall be in conformity with the infrastructure network of the Metropolitan Development and Investment Plan.

(2) The provisions of sections 49 to 60, sub-section (2) of section 78, clause (xiii) of sub-section (2) of section 85, and sub-section (3) of section 87 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), together with the rules framed thereunder, shall, *mutatis mutandis*, apply for the purposes of these rules, unless otherwise expressly provided herein.

(3) The Metropolitan Commissioner shall exercise the powers and discharge functions of the Director of Town and Country Planning, in respect of such Scheme.

40. Intention of development undertaken on behalf of Union or State Government.- Where the Union or State Government intends to carry out development of any land, the authorized officer of the concerned Government shall inform the Metropolitan Commissioner, in writing, of such intention, at least 30 days before undertaking the proposed development. Such information shall be accompanied by the following documents and particulars, namely:-

(a) description of land (Location with name of road/roads on which the land is situated and its boundaries);

(b) Khasra plan showing Khasra numbers of the land in question and also adjoining Khasra numbers lying within 200 meters from the outer limit of the land. The land in question shall be shown in red in Khasra map;

(c) location plan, indicating the land in question showing main approach roads and any other important buildings in the vicinity;

(d) survey plan on scale 1:400 to 1:2000 to be given, showing boundaries of land in question and also showing physical features, within 200 meters radius, such as nala, water bodies, trees, slopes, contour plan, if the land is undulating, high tension lines, existing roads showing the right of way, railway lines and railway boundaries, position of electric and telephonic poles and all such other developments and features, which need to be co-ordinate with adjoining areas and land in question;

(e) a plan showing all development proposals with respect to the land in question with a general report, so as to make the Scheme self explanatory. Such plan must give information regarding utilities and services, like water supply, drainage, electricity and sewerage;

(f) other architectural details, as required by the Metropolitan Commissioner;

(g) a note indicating the type of development proposed, namely residential, commercial, public and semi-public, industrial, mixed or any other;

(h) the name and address of registered Planner/Architect/ Engineer engaged, licensed under the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules, 2012.

41. Development Permission by others.- The Metropolitan Region Development Authority shall prescribe procedure of development permission, assessment, levy and recovery of development changers for such development permission, by regulations in the Metropolitan Development and Investment plan.

CHAPTER - VIII

DISPOSAL OF LAND

42. Disposal of land and other property.-

(1) The properties of Metropolitan Region Development Authority shall be disposed by,-

(a) inviting bids in sealed cover/online; or

(b) by draw of lottery at predetermined price.

(2) The Metropolitan Region Development Authority, involving the properties of the Authority, may execute projects on Public Private Partnership mode and on such other mode, as it may consider necessary, with prior permission of the Government:

Provided that in all such projects, the private partner shall be selected through a transparent process.

(3) The Metropolitan Region Development Authority may, by regulations, prescribe standard operating procedure in this regard.

CHAPTER - IX

BUDGET AND ANNUAL PLAN

43. Annual Budget.-

(1) The Metropolitan Commissioner shall cause to be prepared, not later than the 10th of March every year, a statement of annual income and expenditure, giving the estimates and actuals of the past year and the estimates of the next financial year.

(2) The annual statement so prepared, shall be placed by the Metropolitan Commissioner, with the prior approval of the Chairman, before the Metropolitan Region Development Authority.

(3) The Metropolitan Region Development Authority shall consider the estimate so submitted to it and sanction the same, either unaltered, or subject to such alterations, as it may think fit.

(4) A copy of the budget, as sanctioned under sub-rule (3) above, shall be submitted to the State Government.

(5) The State Government may direct the Metropolitan Region Development Authority to make such modification in the budget, as it may deem necessary.

(6) The Metropolitan Region Development Authority shall, within thirty days of the date of receipt of such directions, either accept the modification or make further submission to the State Government.

(7) The State Government, after considering the submissions of the Metropolitan Region Development Authority, shall pass such orders thereon, as may be deemed fit and from the date of such orders, the budget shall be deemed to be in force, with modifications ordered by the Government.

44. Preparation of Annual plan and report.-

(1) The Authority shall submit to the Government, within two months from the end of the financial year, an annual report, in the narrative form describing the activities of the Metropolitan Region Development Authority during the year.

(2) The report shall contain particulars of the following matters, namely:-

(a) programme schemes for the year;

(b) Schemes under execution;

(c) particulars of properties acquired;

(d) projects relating to land development;

(e) projects relating to infrastructure development;

(f) traffic and transportation projects;

(g) social forestry and water bodies conservation;

(h) plan preparation and planning oriented studies;

(i) steps taken to secure adequate finance for formulating fresh Schemes;

(j) programme of Schemes for the next year;

(k) assets and liabilities;

(l) any other matter, as Authority may deem fit;

(m) general remarks.

CHAPTER - X
USER CHARGES

45. Levy of User Charges.-

(1) When it appears to the Authority that, any particular development project related to utilities, amenities, services or facilities is sufficiently advanced to enable the amount of the user charge to be determined, the Authority may, by an order made in this behalf, declare that, for the purpose of determining the user charge under sub-section (1) of section 49 of the Act, the execution of the development project or scheme shall be deemed to have been completed and thereupon shall levy, on any user/owner of the land or any person having an interest therein, the amount of the user charge in respect of the facility so provided.

(2) The User charge, so assessed and levied, shall be final:

Provided that the Authority, on its own motion or so required by the State Government, may re-asses the user charge, as a whole or any part thereof.

CHAPTER - XI
MISCELLANEOUS

46. Appeal.-

(1) An appeal may be preferred under sub-section (1) of section 30 of the Act, to the Secretary in-charge, Department of Urban Development and Housing and shall contain,-

(a) a copy of the order, against which an appeal is being filed;

(b) a clear statement of facts and the ground, on which the appeal is made;

(c) the relief prayed for; and

(d) proof of having paid a fee of Rs. 5000/- as processing fee.

(2) Appeal so preferred shall be disposed of, by giving due opportunity of hearing to the applicant, within a period of 120 days.

47. Revision.-

(1) A revision preferred under section 31 of the Act shall contain,-

(a) a copy of the order, against which the revision is being filed;

(b) a clear statement of facts and the ground, on which the revision is made; and

(c) the relief prayed for.

(2) Any order passed under this rule shall be final and binding.

48. Removal of difficulties.- If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these rules, the Government may issue instructions, not inconsistent with the objects and purposes of these rules, which appear it to be necessary or expedient for the purpose of interpretation or removing difficulty.

FORM-I

(see rule 11(5))

Draft List of Voters for Election of Members of .... Metropolitan Planning Committee of .... Metropolitan Region

Notice is hereby given that the draft list of voters for election of members of .... Metropolitan Planning Committee of .... (name of Metropolitan Region) has been published in accordance with the provisions of sub-rule (5) of rule11 of the Madhya Pradesh Mahanagar Kshetra Niyojan Evam Vikas Niyam, 2026.

Serial No.	Name of Voter	Father's/ Husband's Name	Male/ Female/ Other's	Elected from	Position Held	Tenure*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

*Period of tenure in Local Authority

If there is/are any objection or claim with respect to the said list, the same may be submitted, in writing, to the.................................... (Officer, designation) from .... am/pm to ..... am/pm at .... (Office address), before the expiry of fifteen days from the date of publication of the notice, for due consideration.

Place:
Date:

Election Authority

FORM-II

(see rule 14)

Notice of Election of Metropolitan Planning Committee

No .... In exercise of the powers conferred by rule 14 of the Madhya Pradesh Mahanagar Kshetra Niyojan Evam Vikas Niyam, 2026, I .... Election Authority (Metropolitan Region), do hereby give the following notice in relation to the election of members of Metropolitan Planning Committee of .... Metropolitan Region, specified in the Schedule below, namely:-

SCHEDULE

S. No.	Poll Event	
1.	Date of issue of notification	
2.	Last date for filling nomination of candidate	Date: Time: Place:
3.	Date for the scrutiny of nomination	Date: Time:
4.	Last date for withdrawal of candidature	Date: Time: Place:
5.	Date of poll	Date: Time: Place:
6.	Date of counting	Date: Time: Place:
7.	Date of declaration of result	Date: Place:

Place:.................................

Date:.................................

Election Authority

.... Metropolitan Region

FORM-III

[see rule 15(2)]

Nomination Paper

Election of the Metropolitan Planning Committee

I .... (name) hereby submit my nomination as a candidate, for election of member of the .... Metropolitan Planning Committee of ....Metropolitan Region.

Candidate's name ....

Father's/Mother's/Husband's name...............................

Candidate's postal address...

Candidate's name is entered at S. No..................................... of the voters' list of the abovementioned Metropolitan Region.

....

Date: Signature of Candidate

(Name ....)

I........................ (name) assent to my nomination and hereby declare,-

(a) that my name and my (father's/mother's/husband's name) have been correctly spelt out above in................. (name of the language);

(b) that to the best of my knowledge and belief, I am qualified for being chosen to fill the seat in the Metropolitan Planning Committee.

Place: ....

Date: Signature of Candidate

(Name ....)

(To be filled by the Returning Officer)

Serial No. of the nomination paper ....

This nomination was delivered to me, at my office at .... (hours), on .... (date) by the candidate.

Date:

....

Returning Officer

(Name ....)

FORM-IV

[see rule 16(3)]

List of Valid Nominated Candidates

Election of the .... Metropolitan Planning Committee for .... Metropolitan Region.

S. No.	Name of Candidate	Name of Father/ Mother/ Husband	Elected from	Position held	Address of candidate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Place:

Date:

....

Returning Officer

Name ....

Seal

FORM-V

[see rule 17(3)]

List of Contesting Candidates

Election of the .... Metropolitan Planning Committee for .... Metropolitan Region.

S. No.	Name of Candidate	Name of Father/ Mother/ Husband	Elected from	Position held	Address of candidate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Place:
Date:

....
Returning Officer
Name ....
Seal

FORM-VI

[see rule 18(10)]

Ballot Paper Account

Election of the .... Metropolitan Planning Committee for .... Metropolitan Region.

	Serial No. From	Serial No. To	Total No.
1. Ballot papers received by the presiding officer	....		
2. Ballot papers unused	....		
3. Ballot papers used at the polling station (1-2=3)	....		
4. Ballot papers used at the polling station, but not inserted into the Ballot Box	....		
(a) Ballot papers cancelled due to printing mistake	....		
(b) Ballot papers cancelled	....		
(a+b) Total	....		
5. Ballot papers to be found in the ballot box (3-4=5)	....		

Place: ....

Date: ....

....

Signature of the Presiding Officer

FORM-VII

(see rule 20)

Final Result Sheet

I .... Returning Officer of the .... Metropolitan Planning Committee, do hereby declare the following candidates to be elected.

S. No.	Names of the elected candidates (Municipality)	Names of the elected candidates (Panchayat)
(1)	(2)	(3)

Place:

Date:

....

Returning Officer

Name ....

FORM-VIII

(see rule 29)

Notice of Publication of Draft Metropolitan Development and Investment Plan

Notice is hereby given that the Draft of Metropolitan Development and Investment Plan for .... (name of Metropolitan Region) has been published in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 16 of the Madhya Pradesh Mahanagar Kshetra Niyojan Evam Vikas Adhiniyam, 2025 (No. 21 of 2025), a copy thereof is available for inspection at,-

1.
2.
3.

(Mention names of the offices of Metropolitan Region Development Authority, Divisional Commissioner(s), District Collector(s), Town and Country Planning, Town and Country Development Authority and Urban Local Authorities concerned, where such copies have been made available).

If there is any objection or suggestion with respect to the said draft plan, the same may be submitted, in writing, to the concerned Metropolitan Region Development Authority, before the expiry of thirty days from the date of publication of the notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration.

Place:

Date:

Metropolitan Commissioner,
Metropolitan Region Development
Authority

FORM-IX

(see rule 31)

Form for compiling objections/suggestions on the Publication of Draft Metropolitan Development and Investment Plan of .... (name of the Metropolitan Region) and Recommendations of the Committee

1. Place of hearing ....

2. Dates, on which hearings were held.............................

S. No.	Objection number	Name and address of the person	Brief description of suggestions/ objections (including detail of Village /Khasra / Area/ provision, regarding which suggestion/ objections have been made)	Comment of Metropolitan Commissioner	Recommendations of the Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Name designation and signatures

of the Convener and members

FORM-X

(see rule 31)

Notice to appear before the Committee for hearing

To,

Shri/Smt./Ms. ....

Address ....

Sub: Hearing before the Committee on your objection/suggestions, on Draft Metropolitan Development and Investment Plan of .... (Metropolitan Region)

Reference:- Your objection/suggestions dated............, registered at S. No. ....

Sir/ Madam,

This is with reference to your objection on Draft Metropolitan Development and Investment Plan of .... (name of the Metropolitan Region), published by the .... Metropolitan Region Development Authority. You are requested to be present for hearing in person or through your authorized representative before the Committee constituted under section 16 of the Act, at the venue and time mentioned below,-

Venue: ....

Date: ....

Time: ....

Any additional information/document, in support of your objection, may be submitted on the same day.

Convener of the Committee
Name and Designation

FORM-XI

[see rule 31(l)]

Form for listing of additional information provided during hearing of Draft Metropolitan Development and Investment Plan of .... (name of the Metropolitan Region) before the Committee

S. No.	Objection Number	Name and address of the person	Date of hearing	Details of Additional Information	Additional documents submitted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Signature of the Convener of the Committee
Name and Designation

FORM-XII

(see rule 32)

Notice for approval of the Metropolitan Development and Investment Plan

Notice is hereby given that the State Government has approved the Metropolitan Development and Investment Plan for .... (Metropolitan Region), under sub-section (1) of section 17 of the Madhya Pradesh Mahanagar Kshetra Niyojan Evam Vikas Adhiniyam, 2025 (No. 21 of 2025) and a copy of the said plan may be inspected at the following offices,-

1.

2.

3.

(mention names of the offices of .... Metropolitan Region Development Authority, Divisional Commissioner(s), District Collector(s), Town and Country Planning, Town and Country Development Authority and Urban Local Authorities concerned, where the copies have been made available during office hours).

The same Metropolitan Development and Investment Plan shall be available at .... (url of Authority's website).

The said Metropolitan Development and Investment Plan shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

Place:
Date :

Secretary,
Government of Madhya Pradesh,
Urban Development and Housing Department

FORM-XIII

[see rule 33(2)]

Application form for modification in the Metropolitan Development and Investment Plan under sub-rule (2) of rule 33

To,

The Metropolitan Commissioner,
.... Metropolitan Region Development Authority.

I / we, who are rightful owner/ co-owners of the land described below, apply for modification in the Metropolitan Development and Investment Plan, under sub-rule (2) of rule 33 as below,-

1. Description of land applied for modification:

(a) District: ……………………………………………

(b) Tehsil: ……………………………………………..

(c) Village: ……………………………………………

(d) Khasara No(s) and area of each Khasra: ……………………..

(e) Total area in Hectare: ……………………………………………

2. Details of owner(s):

(a) Name of owner(s): ……………………………………………..

(b) Postal Address: ……………………………………………

(c) E-mail Address: ……………………………………………………

(d) Telephone No. : ……………………………………….

(e) Mobile No. : …………………………………..

3. Present provision in Metropolitan Development and Investment Plan: …………………………

4. Desired modification: ……………………………………………..

5. The Documents (self-attested) are enclosed herewith, as per the annexure (List of documents)

6. I/ we undertake to pay the levy charged under clause (vii) of sub-rule (2) of rule 33 and comply with all the conditions that may be imposed.

Encl: As above

Date: …………….

Signature of owner(s)/ authorized Signatory

Name: …………………………..

Address: ………………………..

ANNEXURE

List of documents

[to be attached with the application form, under sub-rule (2) of rule 33]

1. Land ownership document,-

(a) latest Khasra Paanchsala P-II form (certified);

(b) consent of present land owner to change the land use (if the applicant is not the owner);

(c) in case the project proponents are in association/ consortium/ joint venture, then the necessary legal documents for the same shall be enclosed.

2. Use of land as per notified Metropolitan Development and Investment Plan.

3. Description of the land,-

(a) Khasara plan, showing survey number(s) of land in question and also adjoining Khasara No(s) falling within 500 meters from the outer limit of the land on all sides. (the land in question must be highlighted in red);

(b) location plan indicating land in question, main approach road (existing and proposed), important public buildings, water bodies and the existing uses surrounding the land;

(c) survey plan to scale of 1:400 to 1:2000;

(d) the survey plan shall show the boundary of land in question, natural features like nala, ponds, trees and slopes, contour plan at an interval of 2 meters, electric line and position of electric/telephone poles and all such other features, which may need to be coordinated.

4. General project report: land ownership, location/site plan, development proposals/ layout (urban planning/traffic planning/ environment planning), sketches of proposed buildings, planning for infrastructure, like water supply, sewerage, electrification, drainage, fire safety, rainwater harvesting, garbage disposal, treatment plant (water/ sewerage/ garbage), recycling of waste water.

5. Environmental impact study of the proposed development and its mitigation measures.

6. The report showing the proposed development with respect to employment generation, enhancement of the facilities for the public, enhancement of environment quality of the area and improvement of quality of life of the beneficiaries of the proposed use.

7. Project cost estimates.

8. Cost of upgradation of external infrastructure with reference to roads, water supply, sewage etc. The applicant shall have to indicate external development to be undertaken by him for upgradation and improvement of the infrastructure and shall have to indicate the standards and norms, on which his development proposals in the selected sector are being based, for example, adoption of IRC standards for the construction of road etc.

9. Financial arrangement and investment plan and timeline for completion of the project.

10. Phases of implementation.

11. An Affidavit of the owner, stating that he has been duly authorized to apply for the modification, by the other co-owners and that the contents of the application and the documents produced are true.

Date: ....

Signature of owner(s)/ Authorized Signatory

Name: ....

Address: ....

FORM-XIV

[see rule 33(2)(b)]

Notice of inviting objections/suggestions on modification in Metropolitan Development and Investment Plan

It is hereby notified for public information, under clause (ii) of sub-rule (2) of rule 33, that the .... Metropolitan Region Development Authority, proposes to modify the provisions of Metropolitan Development and Investment Plan for ....(name of place), as specified in the Schedule below.

Any objection and suggestions with respect to the said modification may be submitted by any person, to the Metropolitan Commissioner, ... Metropolitan Region Development Authority, in writing, within a period of 15 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette and such objections or suggestions, received before the expiry of the period specified above, shall be considered by the Metropolitan Commissioner.

SCHEDULE

Give details of the proposed modifications

Metropolitan Commissioner,

Metropolitan Region Development Authority

FORM-XV

(see rule 35)

Notice of Publication of Draft Area Development Plan

Notice is hereby given that the Draft of .... Area Development Plan in .... (name of Metropolitan Region) has been published in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 23 of the Madhya Pradesh Mahanagar Kshetra Niyojan Evam Vikas Adhiniyam, 2025 (No. 21 of 2025), a copy thereof is available for inspection at,-

1.

2.

3.

(mention names of the offices of Metropolitan Region Development Authority, Divisional Commissioner(s), District Collector(s), Town and Country Planning, Town and Country Development Authority, Urban Local Authorities, Zila and Janpad Panchayat concerned, where such copies have been made available).

If there is/are any objection(s) or suggestion(s) with respect to the said draft plan, the same may be submitted, in writing, to the concerned Metropolitan Region Development Authority before the expiry thirty days from the date of publication of the notice in the Madhya Pradesh Gazette, for due consideration.

Place:
Date :

Metropolitan Commissioner,

Metropolitan Region Development Authority

FORM-XVI

(see rule 37)

Notice for Approval of the Area Development Plan

Notice is hereby given that the .... Metropolitan Region Development Authority has approved the .... Area Development Plan in ....Metropolitan Region, under sub-rule (1) of rule 37 of the Madhya Pradesh Mahanagar Kshetra Niyojan Evam Vikas Niyam, 2026 and a copy of the said plan may be inspected at the following offices:-

1.

2.

3.

(mention names of the offices of Metropolitan Region Development Authority, Divisional Commissioner(s), District Collector(s), Town and Country Planning, Town and Country Development Authority, Urban Local Authorities, Zila and Janpad Panchayat concerned, where the copies have been made available during office hours).

The same Area Development Plan shall be available at .... (url of Authority's website).

The said Area Development Plan shall come into force with effect from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Place:

Date :

Metropolitan Commissioner,

Metropolitan Region Development Authority

FORM-XVII

[see rule 38(2)]

Application form for modification in Area Development and Investment Plan under sub-rule (2) of rule 38

To,

The Metropolitan Commissioner,

.... Metropolitan Region Development Authority.

I/we, who is/are rightful owner/co-owners of the land described below, apply for modification in the Area Development Plan under sub-rule (2) of rule 38 as below,-

1. Description of land applied for modification:

(a) District: ....

(b) Tehsil: ....

(c) Village: ....

(d) Khasara No(s) and area of each Khasra: ....

(e) Total area in Hectare: ....

2. Details of owner(s):

(a) Name of Owner(s): ....

(b) Postal Address: ....

(c) E-mail Address: ....

(d) Telephone No. : ....

(e) Mobile No. : ....

3. Present provision in Area Development Plan:........... ....

4. Desired modification: ....

5. The Documents (self-attested) are enclosed herewith, as per the annexure (List of documents).......................................

6. I/we undertake to pay the levy charged under clause (vii) of sub-rule (2) of rule 38 and comply with all the conditions that may be imposed.

Encl: As above

Date: ....

Signature of owner(s)

Name: ....

Address: ....

ANNEXURE

List of documents

[to be attached with the application form under sub-rule (2) of rule 38]

1. Land ownership document,-

(a) latest Khasra Paanchsala P-II Form (certified);

(b) consent of present land owner to change the land use (if the applicant is not the owner);

(c) in case the project proponents are in association/ consortium/joint venture, then the necessary legal documents for the same shall be enclosed.

2. Use of land as per notified........... Area Development Plan.

3. Description of the land,-

(a) Khasara Plan showing survey number(s) of land in question and also adjoining Khasara No(s) falling within 500 meters from the outer limit of the land on all sides (the land in question must be highlighted in red);

(b) location plan indicating land in question, main approach road (existing and proposed), important public buildings, water bodies and the existing uses surrounding the land;

(c) survey plan to scale of 1:400 to 1:2000;

(d) the survey plan shall show the boundary of land in question, natural features like nala, ponds, trees and slopes, contour plan at an intervals of 2 meters, electric line and position of electric/telephone poles and all such other features, which may need to be coordinated.

4. General project report: land ownership, location/site plan, development proposals/ layout (urban planning/traffic planning/ environmental planning), sketches of proposed buildings, planning for infrastructure, like water supply, sewerage, electrification, drainage, fire safety, rainwater harvesting, garbage disposal, treatment plant (water/ sewerage/ garbage), recycling of waste water.

5. Environmental impact study of the proposed development and its mitigation measures.

6. The report showing the proposed development with respect to employment generation, enhancement of the facilities for the public, enhancement of environment quality of the area and improvement of the quality of the life of the beneficiaries of the proposed use.

7. Project cost estimates.

8. Cost of upgradation of external infrastructure with reference to roads, water supply, sewage etc. The applicant shall have to indicate external development to be undertaken by him for upgradation and improvement of the infrastructure and shall have to indicate the standards and norms, on which his development proposals in the selected sector are being based, for example, adoption of IRC standards, for the construction of road etc.

9. Financial arrangement and investment plan and timeline for completion of the project.

10. Phases of implementation.

11. An Affidavit of the owner stating that he has been duly authorized to apply for the modification by the other co-owners and that the contents of the application and the documents produced are true.

Date: ……………………

Signature of owner(s)

Name: ……………………………

Address: ………………………...

FORM-XVIII

[see rule 38(2)(b)]

Notice of inviting objections/suggestions on modification in Area Development Plan

It is hereby notified for public information, under clause (b) of sub-rule (2) of rule 38 of the Madhya Pradesh Mahanagar Kshetra Niyojan Evam Vikas Niyam, 2026 that the .... Metropolitan Region Development Authority, proposes to modify the provisions of .... Area Development Plan for .... (name of place), as specified in the Schedule below.

Any objection and suggestion with respect to the said modification may be submitted by any person to the Metropolitan Commissioner, ... Metropolitan Region Development Authority, in writing, within a period of 15 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette and such objections or suggestions, which may be received before the expiry of the period specified above shall be considered by the Metropolitan Commissioner.

SCHEDULE

Give details of the proposed modifications

Metropolitan Commissioner,
Metropolitan Region Development Authority

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PRAMOD SHUKLA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.